CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

संपादकीय संग्रह

जुलाई 2022

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

CONTENTS

GS PAPER 2

भारत में सड़क सुरक्षा	5
हिरासत में होने वाली मौतों के लिए तकनीक कोई रामबाण नहीं है	6
भारत को प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेपों को बढ़ाने की जरूरत है	8
भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के	10
अनुमोदन पर दिशानिर्देश, 2022	10
राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति से निपटने के लिए कानूनी और	12
संवैधानिक ढांचा	12
आयुर्वेद के वर्तमान दृष्टिकोण में कमी?	13
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	14
विकलांगता पर राष्ट्रीय नीति का नया मसौदा (पीडब्ल्यूडी)	16
यूक्रेन युद्ध और यूरोप की केन्द्रीय भूमिका	18
घोड़े के आगे गाड़ी: भारत में जमानत कानून	20
एक नया कानून जो पुराने को प्रतिबिंबित करता है	21
हम आपदा मुक्त बाढ़ कैसे प्राप्त कर सकते हैं	23
भारत के राजकोषीय संघवाद की खराब स्थिति	24
व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षित रखने की जरूरत	26

GS PAPER 3

एक अक्षय क्रांति	28
अपरिष्कृत तेल(क्रूड आयल) का समाधान	29

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

पर्यावरण कानूनों में संशोधन	30
सतर्क रहना(Staying watchful)	31
कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में व्यवस्थित संक्रमण	33
भारत की विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	35
भारत के निवेश-आधारित पुनरुद्धार पर वजन	37
बैंक राष्ट्रीयकरण की 53वीं वर्षगांठ	40
यह जीडीपी है किसके लिए?	42
संख्याएँ, बाघ संरक्षण के बारे में कौन सी बातें प्रकट नहीं करती हैं?	43

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

GS PAPER 2

भारत में सड़क सुरक्षा

अब तक की कहानी:

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई वर्षों की नीति बनाने के बावजूद, भारत इस क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है।

आंखें खोलने वाला डेटा

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 1,47,913 लोगों की जान चली गई।
- उसी वर्ष राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का आंकड़ा 1,50,093 सड़क दुर्घटना मौतों का है।
- इसके अलावा, सड़क दुर्घटना मृत्यु दर पर भारत के आंकड़ों को एक अंडरकाउंट के रूप में देखा जाता है, और 2017 के लिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, मौखिक शव परीक्षा स्रोतों के आधार पर, कि 2,18,876 मौतें हुईं।

एसडीजी हासिल करने में बाधा

- लगातार उच्च वार्षिक मृत्यु दर देश की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 3.6 को पूरा करने की क्षमता पर सवाल खड़ा करती है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को आधा करना है।

सड़क सुरक्षा पर नए निष्कर्ष क्या हैं?

- द लैंसेट द्वारा प्रकाशित दुनिया भर में सड़क सुरक्षा पर एक नई विश्लेषणात्मक श्रृंखला का प्रस्ताव है कि भारत और अन्य देश दुर्घटना से होने वाली मौतों में 25 से 40% तक की कटौती कर सकते हैं यदि निवारक उपायों से ज्ञात जोखिम कारकों पर लागू होने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं -
    - उच्च गति,
    - शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाना,
    - उचित हेलमेट का उपयोग नहीं करना,
    - सीटबेल्ट नहीं पहनना

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत ने 2019 में मोटर वाहनों पर अपने कानून में संशोधन किया, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इसका कार्यान्वयन एक समान या पूर्ण नहीं है।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें सुरक्षा में सुधार के लिए सलाहकार शक्तियां थीं।

कार्यान्वयन के साथ मुद्दे

- राज्य सरकारों का ध्यान, हालांकि, उपयोगकर्ता व्यवहार (ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं), शिक्षा और असमान प्रवर्तन पर जोर देने के साथ पारंपरिक बना हुआ है।
- सड़कों के लिए इंजीनियरिंग मानकों को बढ़ाने, साइनेज, सिग्नल, वैज्ञानिक दुर्घटना जांच के लिए प्रशिक्षण, पुलिस कौशल बढ़ाने और सड़क बुनियादी ढांचे के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए सरकारी विभागों पर जिम्मेदारी तय करने जैसे संरचनात्मक परिवर्तन पर कम जोर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

- भारत में प्रमुख हस्तक्षेप, सुंदर समिति (2007) द्वारा सुझाए गए और राजशेखरन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सुधार थे।
- लेकिन इनसे समस्या पर कोई असर नहीं पड़ा है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

सुंदर समिति के प्रमुख निष्कर्ष

- सुंदर समिति ने बताया कि भारत में तकनीकी रूप से सक्षम जांच शाखा का अभाव है जो दुर्घटनाओं के कारणों का निर्धारण कर सके।
- इस बारे में बहुत कम स्पष्टता है कि क्या राज्यों ने यातायात जांच में सहायता के लिए ऐसी इकाइयों का गठन किया है, या क्या बीमा उद्योग ने गलती का सही-सही निर्धारण करने के लिए इन पर दबाव डाला है।
- वैज्ञानिक जांच के अभाव में, धारणाएं आमतौर पर दायित्व के निर्धारण का मार्गदर्शन करती हैं।

लैंसेट द्वारा प्रदान किए गए समाधान

- लैंसेट ने गणना की कि यदि ट्रॉमा केयर सुविधाओं में सुधार किया जाए तो सड़क यातायात की चोट से संबंधित मौतों में से 17% से बचा जा सकता है।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्गों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं, और पीड़ितों को खराब सुविधा वाले जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ले जाया जाता है।
- जबकि सकारात्मक उपयोगकर्ता व्यवहार - धीमी यात्रा, हेलमेट, सीट बेल्ट आदि पहनना - हजारों लोगों की जान बचा सकता है।
- अल्पावधि में, यातायात को धीमा करना, विशेष रूप से बस्तियों के पास, धीमे वाहनों को अलग करना, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करना और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने से औसत दर्जे का लाभ हो सकता है।

सड़क सुरक्षा को आत्मसात करना: आगे का रास्ता

- सड़क सुरक्षा शिक्षा
- बेहतर सड़क डिजाइन, रखरखाव और चेतावनी संकेत
- शराब और नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाने पर कार्रवाई
- यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना
- बेहतर सड़क व्यवहार को प्रोत्साहित करना
- वाहन की सड़क योग्यता सुनिश्चित करना
- बेहतर प्राथमिक उपचार और पैरामेडिकल देखभाल

हिरासत में होने वाली मौतों के लिए तकनीक कोई रामबाण नहीं है

संदर्भ

पुलिस की बर्बरता और हिरासत में की गई हिंसा के मामले में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। 2001 से 2018 के बीच 1,727 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, लेकिन ऐसी मौतों के लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया। यह कोई असामान्य जानकारी नहीं है कि पुलिस, जब वे अपनी पूछताछ की गति से अधिक से अधिक निराश हो जाती हैं, तो कभी-कभी यातना और हिंसा का सहारा लेती हैं जिससे संदिग्ध की मृत्यु हो सकती है। जांच के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने पर भारी समय और पैसा खर्च होने के बावजूद भारत में हिरासत में मौतें आमबात हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस कर्मी अलग-अलग पृष्ठभूमि और अलग-अलग दृष्टिकोणों के इंसान हैं।

तकनीक का प्रयोग

- हिरासत में होने वाली मौतों की समस्या को देखते हुए, कई लोगों द्वारा प्रौद्योगिकी को अचूक इलाज़ के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने में मदद के लिए कई तकनीकी समाधान उपलब्ध हैं। इनमें बॉडी कैमरा और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफिब्रिलेटर(छाती की दीवार या हृदय में विद्युत प्रवाह के अनुप्रयोग द्वारा हृदय के कंपन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण) शामिल हैं।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, बॉडी कैमरे अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराते हैं।

धोखे का पता लगाने वाले परीक्षण (डीडीटी)

- डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट (डीडीटी), जो पॉलीग्राफ, नार्को-एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकों को शामिल करते हैं, ऐसी जानकारी जानने में मूल्यवान हो सकते हैं जो केवल एक अपराधी को अपराध के बारे में पता हो।
- डीडीटी के अंतर्गत, ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग सिस्टम (बीएफएस) एक नवीन तकनीक है जिसे कई पुलिस बल अपने खोजी उपकरणों में शामिल कर रहे हैं।
- बीएफएस अपराधों को सुलझाने, अपराधियों की पहचान करने और निर्दोष संदिग्धों को बरी करने में मददगार साबित हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और यू.एस. नेवी में बीएफएस के लिए किये गये प्रयोगशाला और फील्ड परीक्षणों में कोई त्रुटि नहीं मिली और साथ ही कोई झूठी सकारात्मक और झूठी नकारात्मक रिपोर्ट भी नहीं मिली है।
- यह तकनीक जांच एजेंसियों को जटिल मामलों में सुराग खोजने में मदद करती है।
- चूंकि बीएफएस हाई-एंड टेक्नोलॉजी है, इसलिए यह कई राज्यों में महंगा और अनुपलब्ध है।

ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग सिस्टम (बीएफएस) पर सुप्रीम कोर्ट

- 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में यह माना कि राज्य किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षण नहीं कर सकता है।
- हालांकि, सूचित सहमति से, बीएफएस परीक्षणों के दौरान खोजी गई कोई भी जानकारी या सामग्री साक्ष्य का हिस्सा हो सकती है।

रोबोट

- पुलिस विभाग निगरानी और बम का पता लगाने के लिए तेजी से रोबोट का उपयोग कर रहे हैं।
- कई विभाग अब संदिग्धों से पूछताछ के लिए रोबोटिक पूछताछ चाहते हैं।
- आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रोबोट मानव पूछताछकर्ता की क्षमताओं को पूरा कर सकते हैं या उससे अधिक कर सकते हैं, आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य रोबोटों को उन तरीकों से प्रतिक्रिया देने के इच्छुक हैं जैसे वे मनुष्यों को देते हैं।
- विभिन्न अध्ययनों से, मानव-कंप्यूटर संपर्क (HCI) के शोधकर्ता जोसेफ वेइज़नबाम ने निष्कर्ष निकाला कि संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की तुलना में स्वचालित संवादी समकक्षों(automated conversational counterparts) के सामने बोलने में अधिक सहज हो सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेंसर तकनीक से लैस रोबोट संदिग्धों के साथ सहज संबंध बना सकते हैं और चापलूसी, शर्म और जबरदस्ती जैसी प्रेरक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और रणनीतिक रूप से बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पूछताछ के उपकरण के रूप में उभर रहे हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मानवीय भावनाओं का पता लगा सकता है और व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए ये भी विकल्प हैं।
- जब पुलिस संदिग्धों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही हो तो मशीन लर्निंग (एमएल) उपकरण वास्तविक समय में वरिष्ठों को सचेत कर सकता है।

अवतार(AVATAR)

- एरिज़ोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वास्तविक समय में सत्य आकलन के लिए स्वचालित आभासी एजेंट (Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-Time-अवतार) नामक स्वचालित पूछताछ तकनीक बनाई है।
- कनाडा की सीमा सेवा एजेंसी ने पिछले साल अवतार का परीक्षण किया।
- बातचीत के दौरान संदिग्ध व्यक्ति की आंखों की गतिविधियों, आवाज और अन्य गुणों की जांच करने के लिए एचसीआई(human-computer interaction) प्रणाली दृश्य, श्रवण, निकट-अवरक्त और अन्य सेंसर का उपयोग करती है। इस सिस्टम द्वारा सूचना का एकत्रीकरण और उसका विश्लेषण अत्यधिक सटीक रहा है।

वैध चिंताएं

- कानूनी और नैतिक रूप से, एआई(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) या रोबोट पूछताछ के बारे में बहुत चिंताएं है।
- इसके प्रयोग में पूर्वाग्रह का जोखिम, स्वचालित पूछताछ रणनीति का जोखिम, व्यक्तियों और समुदायों को लक्षित एमएल(मशीन लर्निंग) एल्गोरिदम का खतरा, और निगरानी के लिए इसके दुरुपयोग का खतरा मौजूद है।
- इसलिए, जबकि पुलिस और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है, यह एक प्रतिबंधित उपकरण है जो हिरासत में होने वाली मौतों को समाप्त नहीं कर सकता है।
- हालांकि यह सहजता और पारदर्शिता प्रदान कर सकता है, लेकिन यह उन अंतर्निहित मुद्दों को कभी भी संबोधित नहीं कर सकता है जो इन स्थितियों को जन्म देते हैं।

सुझाव

- हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह है कानून का निर्माण और उनका कठोरता से अनुपालन, प्रौद्योगिकी, जवाबदेही, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों को शामिल करते हुए निर्णयकर्ताओं द्वारा एक बहु-आयामी रणनीति तैयार करना।
    - भारत के विधि आयोग का 2003 में साक्ष्य अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि जो सुझाव देता है की संदिग्धों को प्रताड़ित न करने की बात का सबूत प्रदान करने का भार पुलिस पर रखा जाए।
- इसके अलावा, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में शीर्ष अदालत द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- अत्याचार की रोकथाम, 2017 पर मसौदा विधेयक, जो पारित नही हो सका को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी पुलिसिंग को अधिक सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन यह पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास पर स्थापित करुणामय पुलिसिंग का विकल्प कभी नहीं हो सकती है।

भारत को प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेपों को बढ़ाने की जरूरत है

संदर्भ

जैसा कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत की, गर्व करने के लिए बहुत कुछ है; देश के प्राचीन, पारंपरिक और सभ्यतागत ज्ञान के आधार, ज्ञान और धन संपत्ति को जोड़ते हुए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है।

विचलित करने वाला परिदृश्य

- यह चिन्ताजनक है कि स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे कि बाल कुपोषण (35.5% अविकसित, 67.1% रक्ताल्पता) से पीड़ित है, जो पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के 68.2% के लिए जिम्मेदार है।

खराब पोषण के प्रभाव

- खराब पोषण न केवल स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है बल्कि सीखने की क्षमता में कमी और स्कूल में खराब प्रदर्शन की ओर भी ले जाता है। और वयस्कता में इसका परिणाम कम आय और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी बीमारियों के जोखिम में वृद्धि होता है।

पोषण अभियान

- अच्छी खबर यह है कि सरकार राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) को एक आक्रामक बल देकर, इसे समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना(Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition), या पोषण अभियान के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को कम करना है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) जीवन के पहले 1,000 दिनों (गर्भावस्था के 270 दिन और इसके बाद 730 दिन या 0-24 महीने) के "अवसर" पर मिलकर काम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को संरेखित करने के लिए एनएनएम को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

- वैश्विक और भारतीय साक्ष्य इस रणनीति का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, जो दो साल की उम्र तक होने वाले बड़े पैमाने पर अपरिवर्तनीय स्टंटिंग को रोकता है।
- पोषण अभियान (अब पोषण 2.0 के रूप में संदर्भित) पोषण-संवेदनशील हस्तक्षेपों के साथ चयनित उच्च प्रभाव वाले आवश्यक पोषण हस्तक्षेपों पर विशेष जोर देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मां, शिशु और छोटे बच्चे के पोषण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य के कवरेज में सुधार सेवाओं, महिला सशक्तीकरण, उपलब्धता, और बेहतर पानी, स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच और विविध आहार के लिए घरेलू खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना।

NHFS डेटा एक सूचक है

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4, 2015-16 की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5, 2019-21 के आंकड़ों से पता चलता है कि चार से पांच साल की अवधि में महिला सशक्तिकरण के कई प्रॉक्सी संकेतकों में काफी सुधार हुआ है।
- लेकिन, चिंताजनक रूप से, इस अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप के मामले में देश ने अच्छी प्रगति नहीं की है। पूर्वधारणा पोषण, मातृ पोषण, और उचित शिशु और बच्चे के आहार पर प्रभावी ढंग से ध्यान दिया जाना बाकी है।
- भारत में जीवन के पहले छह महीनों में भी 20% से 30% तक अल्पपोषण होता है, जिस समय में केवल स्तनपान ही एकमात्र पोषण की आवश्यकता होती है।

सुझाव

- न तो मातृ पोषण देखभाल हस्तक्षेप और न ही शिशु और छोटे बच्चे के आहार प्रथाओं ने वांछित सुधार दिखाया है। मातृ पोषण नीति अभी भी प्रतीक्षित है।
- शिशु और छोटे बच्चों को दूध पिलाने की नीति और शिशु आहार के लिए व्यावसायिक दूध की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद, अनन्य स्तनपान (exclusive breastfeeding-ईबीएफ) कराने में मामूली सुधार हुआ है।
- पहले तीन महीनों में बच्चों का कुपोषण उच्च बना रहता है। ईबीएफ के बारे में जागरूकता पैदा करना, स्तन को सही तरीके से रखने, लैचिंग और मैन्युअल रूप से खाली करने की सही तकनीक को बढ़ावा देना एक बच्चे को स्तन के दूध के इष्टतम हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प केंद्र (Centre for Technology Alternatives for Rural Areas-सीटीएआरए), आईआईटी मुंबई टीम के हालिया साक्ष्य इंगित करते हैं कि प्रसव से पहले प्रसवपूर्व जांच के दौरान और अनुवर्ती घरेलू यात्राओं में गर्भवती महिलाओं को सुनियोजित स्तनपान परामर्श महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करता है।

एक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

- एनएफएचएस-5 एक अन्य पोषण हस्तक्षेप में अंतराल की भी पुष्टि करता है - पूरक आहार पद्धतियां, यानी, छह महीने के बाद से स्तन के दूध को जारी रखने के साथ अर्ध-ठोस आहार का पूरक।
- तथ्य यह है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक समूहों में भी 20% बच्चे अविकसित हैं, जो भोजन के चयन और खिलाने के तरीकों में खराब ज्ञान और एक बच्चे की मैश किए हुए खाने को निगलने की क्षमता को दर्शाता है। इसलिए, पहले 1,000 दिनों में विशेष देखभाल के संबंध में सही उपकरणों और तकनीकों के साथ सही समय पर जागरूकता पैदा करना बहुत उच्च प्राथमिकता रखता है।
- हमें अभी कार्य करना चाहिए, और एक मिशन मोड में वित्त और ऊर्जा का निवेश करना चाहिए।
- प्रधानमंत्री अपने 'मन की बात' कार्यक्रम का उपयोग करते हुए पोषण 2.0 को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को दिया था।
- पोषण 2.0 की अगुवाई करने वाली प्रणाली पर फिर से विचार करने और इसके कार्यान्वयन में किसी भी तरह की खामियों को दूर करने के लिए इसे पूरी तरह से बदलने की सख्त जरूरत है।

आईसीडीएस का पुनरीक्षण

- हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या हम पहले 1,000 दिनों में मां-बच्चे के साथ सेवा वितरण संपर्कों के अवसर का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। 1975 से विद्यमान पोषण कार्यक्रम के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नोडल प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना

(आईसीडीएस) पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और जांच करें कि क्या जीवन के पहले 1000 दिनों में मां-बच्चे तक पहुंचने के लिए यह सही व्यवस्था है।

- आईसीडीएस पर निर्भर होने के कारण, हम वास्तव में गर्भवती माताओं और बच्चों के साथ लगातार संपर्क खो रहे हैं जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं और बाल टीकाकरण सेवाओं के दौरान प्रदान करता है,
- यह पता लगाने की भी आवश्यकता है कि क्या सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) के माध्यम से आईसीडीएस आपूर्ति किए गए पूरक पोषण को टेक-होम राशन पैकेट के रूप में वितरित करने का कोई वैकल्पिक तरीका है और आईसीडीएस की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मुक्त करने की जरूरत है ताकि वो उचित मातृ एवं बच्चे को खिलाने की प्रक्रिया सिखाने पर ध्यान दे सकें।
- हमें व्यवस्थित रूप से स्थिति की समीक्षा करने, और एक नई प्रणाली विकसित करने और परीक्षण करने की आवश्यकता है जो आईसीडीएस और स्वास्थ्य क्षेत्र के मानव संसाधन को गांव से जिला और राज्य स्तर तक जोड़ती है।
    - यह उस असंतुलन को संबोधित करेगा जो एक प्रभावी जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए जीवन के पहले 1000 दिनों में सेवाओं के वितरण पर ध्यान केंद्रित करने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष

यह लीक से हटकर सोचने और प्रणालीगत खामियों और 1970 के दशक की पुरानी प्रणाली पर हमारी निर्भरता को दूर करने का समय है जो प्रक्रियाओं को धीमा कर रही है। इसके अलावा, मास मीडिया या टीवी शो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर रह गयी माताओं तक पहुंचने के लिए पहले 1,000 दिनों में देखभाल पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

- वेस्टिंग को ऊंचाई की तुलना में कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बौनेपन(स्टंटिंग) को उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है।

भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन पर दिशानिर्देश, 2022

खबरों में क्यों

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुख्य बिंदु

- **भ्रामक और वैध विज्ञापन के लिए शर्तें**
    - एक विज्ञापन को वैध माना जाएगा और भ्रामक नहीं होगा यदि वह:
        - यदि उसमें सच्चा और ईमानदार प्रतिनिधित्व शामिल है;
        - सटीकता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करता है,
        - वैज्ञानिक वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता या प्रदर्शन या माल या उत्पाद की सेवा;
        - किसी भी कानून द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों को विज्ञापनदाता के ऑफ़र की विशिष्ट विशेषता के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है।
- **चारा(लुभावना) विज्ञापन(Bait Advertisement)**
    - एक चारा(लुभावना) विज्ञापन ऐसे विज्ञापित वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं को प्रस्तावित मूल्य पर बेचने की उचित संभावना के बिना वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश नहीं करेगा।
    - विज्ञापनदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के विज्ञापन से उत्पन्न होने वाली मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति हो।

- **सरोगेट विज्ञापन का निषेध**
    - उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन या अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा, जिनका विज्ञापन कानून द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित या प्रतिबंधित है।
    - इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **मुफ्त दावों वाले विज्ञापन**
    - एक मुफ़्त दावे वाले विज्ञापन में किसी भी सामान, उत्पाद या सेवा को 'मुफ़्त', 'बिना शुल्क' या ऐसी अन्य शर्तों का इस्तेमाल करने का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए, यदि उपभोक्ता को अपरिहार्य(जरूरी) लागतों के अलावा कुछ भी भुगतान करना पड़े।
    - विक्रेता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक उपभोक्ता को मुफ्त ऑफर का लाभ उठाने के लिए कितनी प्रतिबद्धता करनी होगी।
- **बच्चे लक्षित विज्ञापन**
    - एक विज्ञापन जो बच्चों को संबोधित करता है या लक्षित करता है या उनका उपयोग करता है, वह ऐसे व्यवहार की उपेक्षा, प्रोत्साहन, प्रेरणा या अनुचित रूप से अनुकरण नहीं करेगा जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है या बच्चों की अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या वफादारी की भावना का लाभ उठा सकता है।
- **सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स/अनुमोदकों(Endorsers) पर सीमाएं**
    - सरकार ने मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों सहित समर्थन करने वालों के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं।
    - उन्हें अब सामग्री से जुड़े होने का प्रकटीकरण करने और विज्ञापन करते समय उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
    - पृष्ठांकन/अनुमोदन(Endorsements) में समर्थनकर्ताओं की ईमानदार राय, विश्वास या अनुभव प्रतिबिंबित होना चाहिए।
    - एंडोर्सर्स/अनुमोदकों(Endorsers) को सामग्री से जुड़े होने का खुलासा करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
    - भौतिक प्रकटीकरण का अर्थ किसी भी ऐसे संबंध से है जो किसी भी समर्थन के महत्व या विश्वसनीयता को प्रभावित करता है जिसकी एक उचित उपभोक्ता अपेक्षा नहीं करेगा।
    - इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर सीपीए(Consumer Protection Act) के तहत पहले अपराध के लिए 10 लाख और दोबारा अपराध के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) नियम**
    - नवीनतम दिशानिर्देश सरकारी विज्ञापनों पर भी लागू होंगे।
    - भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी स्व-नियमन के लिए विज्ञापन दिशानिर्देश भी समानांतर तरीके से लागू होंगे।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई):

- भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की स्थापना 1985 में हुई थी।
- ASCI एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन है जिसमें भारत में विपणन, रचनात्मक, मीडिया और संबद्ध कंपनियों के सदस्य शामिल हैं।
- अपनी स्थापना के बाद से, एएससीआई विज्ञापन में स्व-नियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ASCI.Social प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के लिए यह जानने का एक मंच है कि वे कैसे अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं और दर्शकों और ब्रांडों का विश्वास बनाए रख सकते हैं।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति से निपटने के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

संदर्भ

शिवसेना में हालिया विभाजन और महाराष्ट्र में उसके बाद के राजनीतिक संघर्ष ने उन मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है जब एक पार्टी टूट जाती है और प्रतिद्वंद्वी गुट खुद को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दावा करते हैं।

एक राजनीतिक दल क्या है?

एक राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है जो शासन पर समान विचार रखता है और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जो सरकार के नियंत्रण को प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि वे अपने एजेंडा और नीतियों को आगे बढ़ा सकें।

भारत में कार्यरत राजनीतिक दलों की संस्कृति

- राजनीतिक दल लोगों और सरकार या विपक्ष में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच एक सतत संबंध बनाए रखते हैं।
- भारत में राजनीतिक दल संवैधानेत्तर हैं, लेकिन वे राजनीतिक व्यवस्था की प्राणवायु हैं।
- राजनीतिक दलों के प्रसार का अर्थ यह भी है कि स्थापित दल बिखरते भी हैं।
- एक गुट या समूह को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए लड़ाई होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- जब कोई पार्टी बिखर जाती है और प्रतिद्वंद्वी गुट खुद को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पेश करते हैं तो ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक कानूनी और संवैधानिक ढांचा होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है।
- चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 5 निर्दिष्ट करता है कि आयोग उन प्रतीकों को निर्दिष्ट करेगा जो उम्मीदवारों द्वारा संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में चुने जा सकते हैं और उनकी पसंद पर उन प्रतिबंधों को भी निर्दिष्ट करेंगे जिनके तहत वो अपनी पसंद को सीमित रखेंगे।
- चुनाव चिन्ह को चुनना और आवंटन: चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव और प्रतीकों के आवंटन तथा राजनीतिक दलों और संबंधित मामलों की मान्यता के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- अलग समूह को पार्टी की मान्यता देने की शक्ति: वही आदेश निर्दिष्ट करता है कि आयोग के पास अलग समूहों या प्रतिद्वंद्वी वर्गों में से किसी एक को पार्टी के रूप में मान्यता देने की शक्ति है।

सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1972) का निर्णय

- सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1972) एक गुट की मान्यता और पार्टी के चुनाव चिह्न के उपार्जन का सबसे महत्वपूर्ण मामला है।
- सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसा मामला तब आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी।
- चुनाव आयोग ने कांग्रेस (जे) को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने के पक्ष में फैसला सुनाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
- सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर भरोसा किया और पाया कि कांग्रेस के विधायी विंग के साथ-साथ संगठनात्मक विंग दोनों में कांग्रेस के सदस्यों के पर्याप्त बहुमत ने कांग्रेस (जे) का समर्थन किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "सरकार या राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्याओं का महत्व है, और उन्हें नज़रअंदाज़ करना न तो संभव है और न ही स्वीकार्य है। वास्तव में, यह बहुमत का दृष्टिकोण है जो अंतिम विश्लेषण में लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक साबित होता है।"
- यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि चुनाव आयोग की एक दल के गुटों के बीच प्रतीकों से संबंधित ऐसे विवादों को निपटाने की शक्ति पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि यह शक्ति अनुच्छेद 324 से प्राप्त होती है जो आयोग का निर्माण करती है और इसमें चुनावों पर अधीक्षण की शक्ति निहित करती है।

निष्कर्ष

एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत के 72वें वर्ष(संविधान लागू होने के बाद से) में, चुनाव आयोग और अदालतों द्वारा राजनीतिक दलों का स्वतंत्र और निष्पक्ष विनियमन एक राष्ट्र के रूप में हमारी राजनीतिक सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दशकों पहले सुप्रीम कोर्ट का विचारशील निर्णय हमारे राजनीतिक दलों की न्यायिक निगरानी को दिए गए महत्व का अहसास है।

आयुर्वेद के वर्तमान दृष्टिकोण में कमी?

संदर्भ

भारत ने 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" प्राप्त करने की योजना बनाई थी। हम आज भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब नहीं हैं। स्वतंत्रता के बाद से, देश ने एक स्वास्थ्य नीति का पालन किया जिसने स्वदेशी, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की उपेक्षा की। जिसके परिणाम विनाशकारी थे।

भारत और आयुर्वेद

आयुर्वेद, भारत की पारंपरिक औषधि, लगभग तीन सहस्राब्दियों से प्रचलन में है।

यह प्राचीन प्रणाली लाखों भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। वर्तमान उपयोग के लिए एक पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का अनुकूलन अपनी चुनौतियों के साथ आता है, जिसे अगर लापरवाही से निपटा जाए, तो यह अपने उपयोगकर्ताओं के कल्याण को खतरे में डाल सकता है।

अटकलें बनाम तथ्य

- आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों, स्पष्ट कारणों से, उनकी संपूर्णता में प्रासंगिकता बनाए रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनमें अप्रचलित लोगों के साथ उपयोगी भाग होते हैं।
- स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी प्रबंधन से संबंधित मूल्यवान टिप्पणियों को पुराने सिद्धांतों, अकल्पनीय अनुमानों और सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों से सावधानीपूर्वक निकालने की आवश्यकता है।
- शारीरिक व्यायाम के लाभ आज भी उतने ही मान्य हैं जितने 1500 साल पहले थे जब उन्हें पहली बार प्रलेखित किया गया था। लेकिन, इस तरह की निरंतर वैधता का दावा शारीरिक और रोग संबंधी अनुमानों के लिए नहीं किया जा सकता है, यही बात मूत्र निर्माण पर भी लागू होती है।

आयुर्वेद की इस दुखद स्थिति का कारण क्या है?

दो मुख्य कारक, एक सैद्धांतिक और दूसरा ज्ञानमीमांसा ने इस दुखद स्थिति को जन्म दिया है।

- सबसे पहले, आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत, जिसे पूर्वजों ने अपने चिकित्सा अनुभव को व्यवस्थित करने के लिए तैयार किया था।
- बीमारियों के नैदानिक लक्षण और उनके प्रबंधन के लिए चिकित्सीय उपायों को इस अनुमानी मॉडल के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।
- स्वास्थ्य और बीमारी में अंतर्निहित जैविक प्रक्रियाओं की ठोस समझ के अभाव में, इन विषयों पर अटकलें भी उसी मॉडल के इर्द-गिर्द बुनी गई थीं।
- इस प्रकार सिद्धांत में ऐसे पहलू हैं जो केवल अनुमान के साथ-साथ अनुमानी रूप से मान्य हैं।
- थ्योरी को इस तरह से फिर से तैयार करना कि पुराने हिस्सों को अलग करते हुए प्रासंगिक पहलुओं को बरकरार रखा जाए, आयुर्वेदिक अनुसंधान में एक प्राथमिकता क्षेत्र है।
- आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान केंद्र इस महत्वपूर्ण कार्य से बेखबर रहे हैं और उनकी चूक के परिणामस्वरूप सिद्धांत, ताला, स्टॉक और बैरल को बरकरार रखा गया है। नतीजतन, पुराने पैथोफिजियोलॉजिकल अनुमान विषय के वर्तमान दृष्टिकोण में जीवाश्म बन गए हैं।
- आयुर्वेद के नवीकरण को अवरुद्ध करने वाला दूसरा कारक इसके शिक्षाविदों के बीच व्यापक विश्वास है कि प्राचीन ग्रंथ, ऋषियों द्वारा गहरी योगिक अवस्थाओं में विभाजित होने के कारण, कालातीत प्रासंगिकता बनाए रखते हैं।

ज्ञान-मीमांसा श्रेष्ठता में विश्वास ने प्राचीन चिकित्सा लेखों को पुनरीक्षित वैज्ञानिक ग्रंथों से हठधर्मी शास्त्रों में बदल दिया है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

सुधार के लिए एक नए सिरे से शुरुआत

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में हाल ही में एक लेख ने आयुर्वेद में सुधार और अद्यतन करने की दलील को नवीनीकृत किया है। शीर्षक "एक आयुर्वेद प्रोफेसर का इकबालिया बयान",

लेख ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आयुर्वेदिक क्लासिक्स में निहित शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान ज्यादातर पुराना है और इस विषय के लिए आधिकारिक दृष्टिकोण गुमराह है।

- अनुच्छेद ने आयुर्वेद अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव का आह्वान किया है।
- यह लेख प्राचीन अवधारणाओं को प्रासंगिक बनाने के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण को भी वर्तमान वैज्ञानिक निष्कर्षों को उन पर आरोपित करके इंगित करता है।
- सत्य का उपहास करने के अलावा, आयुर्वेद जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में इस तरह की गलत व्याख्या खतरनाक रूप से गलत नैदानिक विकल्पों की ओर ले जाने का जोखिम उठाती है।
- आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की वैज्ञानिक जांच के लिए याचिका दायर करते हुए, लेख में आशा है कि आयुर्वेद के छात्र अनारक्षित रूप से वर्तमान शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन करेंगे।

मूल सत्य

- आयुष मंत्रालय को आगे आना चाहिए और विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेना चाहिए।
- आयुष संस्थानों से जुड़े लोगों को यह देखने की जरूरत है कि भोले-भाले युवाओं को एक असंसाधित प्रोटोसाइंस सौंपना कितना पापपूर्ण है और फिर उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करना चाहिए कि यह एक अति-परिष्कृत उन्नत विज्ञान है।
- एक चिकित्सा प्रणाली के रूप में, आयुर्वेद अपनी टिप्पणियों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है, केवल अपने सिद्धांतों के लिए मामूली रूप से, और इसकी अटकलों के लिए बिल्कुल नहीं।
- संस्था जितनी जल्दी इस बुनियादी सच्चाई को समझ ले, उतना ही अच्छा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से बीच बातचीत के बाद महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने पीएमएफबीवाई को खरीफ-2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है।

पीएमएफबीवाई के बारे में

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) खरीफ 2016 सीजन से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई थी।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है -
    - अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
    - खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना
    - किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
    - कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना;
    - जो किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देगा।
- इस योजना को 2020 में पुर्नोत्थान किया गया जिससे किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी हो सके।
- फसल बीमा ऐप की सहायता से किसान किसी भी घटना को 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट करना सुविधाजनक हो गया है, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से, पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभ हस्तांतरित किया जाता है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार

- फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMFBY को संशोधित करने और इसके मौजूदा प्रावधानों में संशोधन लाने की मंजूरी दी है। संशोधित PMFBY 2.0 का उद्देश्य किसानों के दावों की त्वरित गणना और भुगतान सुनिश्चित करना, तकनीकी हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से फसल के नुकसान के अनुपात में और सरकार द्वारा योजना में अधिक संशोधनों को लागू करना है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 90% की जाएगी।
- सूचना, संचार और शिक्षा (आईसीई) गतिविधियां - बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए कुल प्रीमियम का 0.5% आईसीई गतिविधियों पर खर्च किया जाना है।

राज्यों के लिए :

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी भी जिला फसल संयोजन के लिए अपने वित्त के पैमाने को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त जोखिम कवरों के चयन के साथ योजना को चलाने का विकल्प दिया।

केंद्र की प्रीमियम सब्सिडी पर कैप:

- असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए, केंद्रीय सब्सिडी 30% तक प्रीमियम दरों के लिए सीमित होगी
- सिंचित क्षेत्र/फसलों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी 25% तक प्रीमियम दरों पर सीमित की जाएगी।
- जिन जिलों में 50% से अधिक सिंचित क्षेत्र होगा, उन्हें सिंचित जिला माना जाएगा।

राज्यों पर जुर्माना:

- यदि कोई राज्य एक निर्धारित समय-सीमा (31 मार्च - खरीफ सीजन के लिए; 30 सितंबर - रबी सीजन के लिए) से परे बीमा कंपनियों को अपेक्षित प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में देरी करता है, तो राज्यों को बाद के सीज़न में योजना चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) करने के लिए, स्मार्ट नमूनाकरण तकनीक (एसएसटी) सहित प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाना होगा।

- राज्य/जिला स्तरीय शिकायत समिति के माध्यम से, यह योजना किसानों को जमीनी स्तर पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में भी सक्षम बनाती है।
- यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।
- भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने 2022-23 के बजट भाषण के दौरान घोषणा किया की फसल बीमा के लिए ड्रोन के उपयोग पर प्रौद्योगिकी के एकीकरण को और मजबूत करेंगी।
- इसने सभी कार्यान्वयन राज्यों में किसानों को 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' के लिए फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए एक घर-घर वितरण अभियान भी शुरू किया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अच्छी तरह से अवगत और सुसज्जित हो ।

किस प्रकार के जोखिमों को कवर और बहिष्करण किया जाना है?

1. **जोखिम:** इस योजना के तहत फसल के नुकसान के लिए निम्नलिखित जोखिमों को कवर किया जाना है: -

- उपज हानि (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर खड़ी फसलें): गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जैसे कि
  - प्राकृतिक आग और बिजली
  - तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि।
  - बाढ़, और भूस्खलन
  - सूखा,
  - कीट / रोग आदि।

- रोकी गई बुवाई (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर): ऐसे मामलों में जहां अधिसूचित क्षेत्र के अधिकांश बीमित किसान, बुवाई/रोपण के इरादे से और इस उद्देश्य के लिए खर्च किए गए, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बीमित फसल की बुवाई/रोपण से रोके जाते हैं। , बीमा राशि के अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र होंगे

2. **कटाई के बाद के नुकसान (व्यक्तिगत खेत के आधार):** कवरेज उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक उपलब्ध है जो कटाई के बाद खेत में चक्रवात के विशिष्ट खतरों के जैसे बेमौसम बारिश आदि के विरुद्ध सूखने के लिए "कट और फैल" स्थिति में रखी जाती हैं,

- स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत खेत आधार): अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाले पहचाने गए स्थानीय जोखिमों यानी ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ के कारण होने वाली हानि/क्षति।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के परिणामस्वरूप प्रत्याशित फसल के नुकसान की संभावना के खिलाफ बीमित किसानों की कठिनाई को कम करना है।
- RWBCIS मौसम के मापदंडों का उपयोग फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी" के रूप में करता है ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके। पे-आउट स्ट्रक्चर्स यानी टर्म शीट्स को फसल की आवश्यकता के अनुसार मौसम को ट्रिगर रखने और विशिष्ट अवधि के लिए वास्तविक मौसम डेटा के साथ तुलना करने के लिए समझे जाने वाले नुकसान की सीमा तक विकसित किया जाता है।
- पूरे फसल जीवन चक्र को अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जाता है, अर्थात अवधि फसल फेनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और तदनुसार एक विशिष्ट चरण के दौरान बीमित जोखिम के लिए फसल की संवेदनशीलता के आधार पर प्रत्येक अवधि के लिए बीमा राशि आवंटित की जाती है।

विकलांगता पर राष्ट्रीय नीति का नया मसौदा (पीडब्ल्यूडी)

संदर्भ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगता पर राष्ट्रीय नीति (पीडब्ल्यूडी) के नए मसौदे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, जो विकलांगता रोकथाम, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पहुंच और सामाजिक सुरक्षा में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती है।

नीति की आवश्यकता

2006 की नीति को प्रतिस्थापित करने वाली एक नई नीति की आवश्यकता कई कारकों के कारण महसूस की गई जैसे कि

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत का हस्ताक्षर;
    - एक नया विकलांगता कानून (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016) का अधिनियमन, जिसने विकलांगों की संख्या को सात शर्तों से बढ़ाकर 21 कर दिया और विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक के लिए इंचियोन रणनीति का एक पक्ष होने के नाते, 2013-2022 (" इंचियोन प्रतिबद्धता")।
- अंतिम को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के तत्वावधान में तैयार किया गया था, जो एशिया प्रशांत देशों के लिए 10 लक्ष्यों की पहचान करता है ताकि विकलांग व्यक्तियों के समावेश और सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों 2030 के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।
- इन प्रतिबद्धताओं ने व्यक्ति से समाज पर ध्यान केंद्रित करके, यानी विकलांगता के चिकित्सा मॉडल से विकलांगता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल पर ध्यान केंद्रित करके विकलांगता के आसपास के विमर्श को बदल दिया है।

नीति का उद्देश्य

- मसौदा नीति का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करके समावेश और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।
- इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, नीति दस्तावेज शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार, खेल और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, पहुंच और अन्य संस्थागत तंत्रों के लिए एक विस्तृत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

विकलांग व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के बारे में

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि राज्य दलों को "यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में दूसरों के साथ समान आधार पर सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभावी रूप से और पूरी तरह से भाग ले सकें।"
- इंचियोन लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी को भी बढ़ावा देते हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 इन सिद्धांतों को अपने दायरे में समाहित करता है। इस अधिनियम के तहत भेदभाव विरोधी प्रतिबद्धता राजनीतिक क्षेत्र को मान्यता देती है जिसमें विकलांग लोगों को उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का एहसास करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

राजनीतिक भागीदारी पर भारत की स्थिति: दस्तावेज़ ऐसे जनादेश का संज्ञान लेने में विफल होते हैं-

- राजनीतिक सशक्तिकरण और विकलांगों को शामिल करना एक ऐसा मुद्दा है जिसे भारत की लोकतांत्रिक चर्चा में कर्षण नहीं मिला है।
- भारत की कोई नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं है जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना है।
- विकलांग लोगों का राजनीतिक स्थान से बहिष्कार देश में राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और अलग-अलग तरीकों से होता है। उदाहरण के लिए, मतदान प्रक्रिया की पहुंच, दलगत राजनीति में भागीदारी में बाधाएं या स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी ने सभी विकलांगों के हाशिए पर जाने को बढ़ा दिया है।

जमीनी हकीकत, कोई डेटा नहीं

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि "भारत का चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और उनको चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री आसानी से समझाया जा सके और सुलभ हो।

- हालांकि यह जनादेश कुछ वर्षों से अस्तित्व में है, विकलांग लोग अभी भी चुनाव से पहले और चुनाव के दिन पहुंच संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट करते हैं।

कई स्थानों पर अक्सर सुलभ मतदान केंद्रों का अभाव होता है।

- सभी मतदान केंद्रों पर अभी भी ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और यहां तक कि व्हीलचेयर सेवाओं का व्यापक रूप से अनुकूलन नहीं किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान पीडब्ल्यूडी से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित की है
- भारत में राजनीतिक दल अभी भी विकलांगों को विशेष रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अन्य मतदाताओं के रूप में नहीं आंकते हैं।
- हर निर्वाचन क्षेत्र में विकलांग लोगों की सही संख्या पर लाइव समग्र डेटा की कमी ही उनके हाशिए पर जाने को बढ़ावा देती है।
- पार्टी की बैठकों के लिए सुलभ स्थान की कमी, प्रचार के लिए दुर्गम परिवहन या मतदाताओं और पार्टी नेताओं के बीच एक मनोवृत्ति बाधा को योगदान कारक कहा जा सकता है।

इस प्रकार, हम शायद ही कभी पार्टियों के घोषणापत्र में अक्षमता को उजागर करते हुए देखते हैं।

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

- हाशिए के समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने में प्रतिनिधित्व एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे तब पहचाना जब उन्होंने विधायिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया।
- विकलांग लोगों का शासन के तीनों स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) की प्रतिक्रिया से पता चला है कि सरकार सदस्यों के विकलांगता पहलू पर डेटा नहीं रखती है।
- स्वतंत्र भारत में पहले दृष्टिबाधित संसद सदस्य, साधन गुप्ता, का उल्लेख शायद ही हमारे राजनीतिक या विकलांगता प्रवचन में मिलता है।
- सरकारें अक्सर विकलांग राजनीतिक व्यक्तित्वों को स्वीकार करने में विफल रही हैं जिन्होंने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में असंख्य बाधाओं को पार किया है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

- हालांकि, कुछ राज्यों ने भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर पहल शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक विकलांग व्यक्ति को नामांकित करने की पहल शुरू की। यदि कोई विकलांग व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता है तो उसे संबंधित कानून में परिवर्तन के अनुसार पंचायत सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यह एक ऐसा कदम है जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में विकलांगों की भागीदारी बढ़ी है।

क्या किया जाना चाहिए

- समावेशी और सशक्तिकरण के नीति दस्तावेज के लक्ष्य को राजनीतिक समावेश के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। नीति चार-आयामी दृष्टिकोण का पालन कर सकती है:
    - विकलांग लोगों के संगठनों की क्षमता का निर्माण और 'चुनावी प्रणाली, सरकारी संरचना, और बुनियादी संगठनात्मक और वकालत कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सदस्यों को सशक्त बनाना';
    - विकलांगों की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सांसदों और चुनाव निकायों द्वारा कानूनी और नियामक ढांचे का निर्माण, संशोधन या हटाना;
    - नागरिक समाजों को 'घरेलू चुनाव अवलोकन या मतदाता शिक्षा अभियान चलाने' के लिए शामिल करना; तथा
    - राजनीतिक दलों के लिए 'चुनाव अभियान की रणनीतियां बनाते समय और नीतिगत पदों को विकसित करते समय विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्थक पहुंच का संचालन' करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना

निष्कर्ष

दस्तावेज़ इस बात पर जोर देता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को "सही वास्तविक बनाने" के लिए अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस अधिकार को तभी वास्तविक बनाया जा सकता है जब इसमें राजनीतिक अधिकार/राजनीतिक भागीदारी शामिल हो। यह केवल विकलांगता पर सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुरूप होगा, अर्थात, "हमारे बिना.हमारे बारे में कुछ नहीं।"

यूक्रेन युद्ध और यूरोप की केन्द्रीय भूमिका

संदर्भ

यूक्रेन-रूस संघर्ष के राजनीतिक और सैन्य परिणाम यूरोकेंद्रित विश्व व्यवस्था की वापसी के लिए मंच तैयार कर सकते हैं।

- लंबे समय तक यूरोप विश्व का केंद्र बना रहा। औपनिवेशीकरण, पश्चिमी दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय सहित अन्य देशों के उदय ने नाटकीय रूप से यूरोपीय राज्यों के सदियों पुराने प्रभुत्व और दुनिया को अपनी छवि में आकार देने की उनकी क्षमता को कम कर दिया।
- समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शायद ही यूरो-केंद्रित है: जहाँ अमेरिका का वर्चस्व है, और बढ़ती महाशक्तियों द्वारा चुनौती दी गई है, यह एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें यूरोप की प्रणाली को आकार देने की क्षमता सीमित है।

युद्ध और यूरोप पर इसका संभावित प्रभाव

- यूक्रेन पर रूस के युद्ध के राजनीतिक और सैन्य परिणाम संभावित रूप से वर्तमान वैश्विक संतुलन को यूरो-केंद्रित विश्व व्यवस्था की ओर झुका सकते हैं।
- ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा परिदृश्य पर यू.एस. का दबदबा बना हुआ है और ऐसा ही रहने की संभावना है।
- भविष्य में यूरोपीय लोग अपनी सुरक्षा को और अधिक गंभीरता से लेने की संभावना रखते हैं। किसी भी मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोप, आगे जाकर, ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा कल्पना के एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरेगा।
- यदि युद्धों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को आकार देने की क्षमता है, तो एक बार फिर दुनिया को आकार देने की बारी यूरोप की है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और अफगान युद्धों में मिले परिणामों के बाद किसी अन्य युद्धों और सैन्य व्यस्तताओं के एक और दौर के लिए उत्सुक नहीं दिखता है।
- यूरोप में मिजाज बदल रहा है; शांतिवाद से असुरक्षा प्रेरित सैन्यवाद की ओर दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

- यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण ने यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है।
- जिसे कुछ लोगों ने "अस्तित्व की असुरक्षा" के रूप में वर्णित किया है, उसकी व्यापक भावना ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के भविष्य के बारे में एक नए उत्साह को जन्म दिया है।
- ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) आयोग ने यूरोपीय संघ की उम्मीदवारी के लिए कीव के पक्ष का समर्थन किया है, और 30 सदस्यीय सैन्य गठबंधन वाले नाटो में फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल होगें।
- यह नई सैन्य एकता केवल शब्द नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं से राजनीतिक प्रतिबद्धता और वित्तीय संसाधनों के साथ समर्थित है।
    - उदाहरण के लिए, बर्लिन ने रक्षा पर अपने €50 बिलियन वार्षिक व्यय के अतिरिक्त रक्षा के लिए अतिरिक्त €100 बिलियन खर्च करने का निर्णय लिया है।
    - व्यापार के माध्यम से रूस को बदलना अब अधिकांश जर्मन नीति निर्माताओं और विचारकों के बीच लोकप्रिय नहीं है।
    - जबकि समकालीन यूरोप में असुरक्षा और भेद्यता की गहरी भावना है, यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में नाटो और यूरोपीय संघ बेहतर दिन देखेंगे। उस हद तक, कई लोग रूस के यूक्रेन युद्ध को "शाप में एक आशीर्वाद" मानते हैं।

यूरोपीय संस्थानों पर प्रभाव

- जर्मनी यूरोप में इस नई सोच की राह पर अग्रसर है।
    - एक देश जिसने दो दशकों तक रक्षा पर 1.3% से अधिक खर्च नहीं किया है, वह अब अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए 2% से अधिक खर्च करेगा।
    - विशेष रूप से, अब जर्मनी का संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहुत कम विश्वास है, जिस कारण जर्मनी ने एक पुनर्जीवित यूरोपीय संघ और नाटो में अपना विश्वास रखने का फैसला किया है।
- यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यूरोप का विश्वास लोकतांत्रिक वैश्विक संस्थानों में अपने पड़ोस में लड़ रहे एक गैर-यूरोपीय संघ/नाटो सदस्य युद्ध के कारण कितनी जल्दी कमजोर हो गया।
- यूरोपीय राज्य वैश्वीकरण प्रेरित भेद्यता के बारे में गहराई से चिंतित हैं और इसने अंधाधुंध वैश्वीकरण की अंतर्निहित समस्याओं के बारे में पुनर्विचार किया है।
- यूरोपीय सैन्यीकरण का संयुक्त प्रभाव (हालांकि यह अभी के लिए मामूली हो सकता है), बहुपक्षीय संस्थानों में इसके विश्वास की हानि, और यूरोपीय संघ और नाटो की बढ़ी हुई प्रमुखता यूरोप का एक और भी मजबूत नियामक, मानदंड/ मानक स्थापित करने वाली महाशक्ति के रूप में सैन्य शक्ति के साथ अनियंत्रित उद्भव होगा।

शेष विश्व के लिए निहितार्थ

- यूरोप से आने वाले हालिया बयान कि 'लोकतंत्र' को एक गैर-लोकतांत्रिक हमलावर को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए, आगे आने वाली घटनाओं का ही परिचय है: 'दोस्तों और दुश्मनों' की एक यूरोप-केंद्रित विश्वदृष्टि बाकी दुनिया के साथ अपने जुड़ाव को निर्धारित करेगी।
- यहां भारत एक मित्र है, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर उसका रवैया यूरोप के अनुकूल नहीं है।
- घटते बहुपक्षवाद और बढ़ते यूरोकेन्द्रवाद का अर्थ यह होगा कि यूरोपीय लोगों द्वारा, यूरोपीय लोगों के बीच, यूरोपीय और गैर-यूरोपीय लोगों के लिए मानदंड स्थापित करने और प्रणाली को आकार देने वाली चर्चाओं का संचालन किया जा सकता है, जिसमें बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कम या बिल्कुल भी परामर्श न होने की उम्मीद है और यहां तक कि इसमें उनकी सहमति ली जाएगी ये भी जरूरी नहीं होगा।
- यूरोपीय संघ दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए मानक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और अन्य लोगों के पास इसका पालन करने के अलावा बहुत कम विकल्प होंगे।
- यूरोप दुनिया भर में भागीदारों की तलाश करेगा, जिसका उद्देश्य यूरोप-केंद्रित विश्व व्यवस्था बनाना होगा जो वास्तव में वैश्विक विश्व व्यवस्था नहीं होगी।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

निष्कर्ष

- यूक्रेन युद्ध के बारे में यूरोपीय दृष्टिकोण का मुख्य संदेश यह है कि यूरोपीय राज्य अपने युद्धों और संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और 'नियम आधारित' वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखना चाहते हैं।
- यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आज पश्चिम में बहुत कम मान्यता है कि वैश्विक गैर-पश्चिमी देशो की राजनीतिक प्राथमिकताएं घोर गरीबी और अविकसितता को संबोधित करने से लेकर सामाजिक सामंजस्य और स्थानीय संघर्षों के प्रबंधन तक पूरी तरह से अलग हैं।

घोड़े के आगे गाड़ी: भारत में जमानत कानून

संदर्भ

दो हालिया घोषणाओं, एक न्यायिक आदेश और दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा एक सार्वजनिक भाषण, ने देश में जमानत कानून के संचालन के तरीके पर ध्यान आकर्षित किया है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चोट

- सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में, बिना पर्याप्त कारण के गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द से जल्द जमानत देने के दायरे का विस्तार करने की मांग की है, सीजेआई(CJI) ने जल्दबाजी में गिरफ्तारी, जमानत पर संदिग्धों को रिहा करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं और विचाराधीन लोगों की लंबी कैद के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने पर शोक व्यक्त किया है।
- चिंता की अभिव्यक्तियां उन शासनों के लिए सही समय पर याद दिलाने के लिए हैं जो अपनी पुलिस शक्तियों का उपयोग आलोचकों, कार्यकर्ताओं और उनके साथ राजनीतिक रूप से गठबंधन नहीं करने वालों पर नकेल कसने के लिए कर रहे हैं।

विडंबना

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बोलने वाली अदालतों में एक विडंबना है, एक ओर जहां अंधाधुंध गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त होती है, लेकिन दूसरी ओर नियमित रूप से जमानत से इनकार करना या जमानत की सुनवाई स्थगित करना भी जारी है।

फैसले के सकारात्मक पहलू

- जमानत देने और गिरफ्तारी के लिए रचनात्मक दिशा-निर्देश निर्धारित करने के पक्ष में प्रमुख सिद्धांतों को दोहराने वाला फैसला काफी मूल्यवान है।
- उदाहरण के लिए, बेंच ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41A के आधार पर अर्नेश कुमार सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्थायी आदेश देने का आह्वान किया है, जिसके तहत एक पुलिस अधिकारी को किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है और उससे सात साल से कम की जेल की अवधि को आकर्षित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों में उपस्थिति का नोटिस जारी करने की अपेक्षा की जाती है।
- फैसले के अन्य सकारात्मक पहलू हैं: जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करना और यह रेखांकित करना कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब वास्तव में आवश्यकता हो, या आरोपी को न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए यह जरूरी हो।

अलग जमानत अधिनियम पर विचार

- एक दिलचस्प योगदान में, बेंच ने जमानत प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम की तर्ज पर एक अलग 'जमानत अधिनियम' का प्रस्ताव रखा है।
- यह वास्तव में सच है कि जमानत कानून की मूल बातें काफी ज्ञात होने के बावजूद, विशेष रूप से कि जमानत नियम है, और जमानत न देना अपवाद है। इस बात पर स्पष्ट विसंगतियां हैं कि किसे जमानत मिलती है, किसे इससे इनकार किया जाता है और यह किस स्तर पर दी जाती है।
- एक अलग कानून एक सामान्य संदर्भ बिंदु प्रदान कर सकता है, लेकिन क्या यह देश के अघोषित शासन को समाप्त करेगा जो कहता है की 'तुम मुझे आदमी दिखाओ, और मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा',?

सुधारों की जरूरत

- मजिस्ट्रेट की स्थिति में भी बदलाव की आवश्यकता है। जब भी किसी को उनके सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट यांत्रिक रिमांड को अधिकृत करने और अभियोजक द्वारा इसका विरोध करने पर जमानत को अस्वीकार करने के लिए तैयार लगते हैं।
- कानून से अधिक, पहले पुलिस को इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए कि पहले गिरफ्तार किया और फिर संभावित अपराध में फंसाया।

स्वागत योग्य निर्णय

- यह वास्तव में स्वागत योग्य है कि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अदालत के समक्ष पेश होने के चरण में औपचारिक आवेदन के बिना या जब कोई व्यक्ति समन या वारंट का जवाब देता है, तब भी जमानत पर विचार किया जा सकता है।

एक नया कानून जो पुराने को प्रतिबिंबित करता है

विधेयक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में पुराने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को बदलने के लिए एक नया मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया।

विधेयक के साथ मुद्दे

- जबकि नए कानून की आवश्यकता को पहचानने के लिए मंत्रालय की सराहना की जानी चाहिए, नए विधेयक से असहमत होने के लिए बहुत कुछ है।
- हालांकि मंत्रालय ने इसे अप्रचलित स्वतंत्रतापूर्व कानून की समीक्षा के लिए सरकार के कदम के अनुरूप बताया है, लेकिन इसमें से अधिकांश पुराने कानून की एक प्रति है।
- ड्रग विनियमन के संबंध में इस बिल में कुछ भी नया नहीं है।
- रैनबैक्सी घोटाले के बाद से पिछले एक दशक में उठे ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए यह विधेयक कुछ नहीं करता है।
- वर्तमान विधेयक विकेंद्रीकृत नियामकों के मुद्दे पर मौन है।
- नया कानून पारदर्शिता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर खामोश है क्योंकि इसकी संरचना बड़े पैमाने पर मूल औपनिवेशिक युग के कानून के आधार पर की गई है।
- आधुनिक विनियमन अनिर्वाचित नौकरशाहों और टेक्नोक्रेट्स को अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति प्रदान करता है। दक्षता के दृष्टिकोण से, इस तरह की शक्तियाँ देने की आवश्यकता है, लेकिन जवाबदेही के दृष्टिकोण से, यह लोकतांत्रिक घाटे की ओर ले जाता है।
- प्रस्तावित कानून जनभागीदारी के लिए जगह नहीं बनाता है।

रैनबैक्सी घोटाला:

2008 में, जापानी फार्मास्युटिकल दिग्गज ने भारत के जेनेरिक दवा उद्योग का गहना, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, उन अरबपति भाइयों से खरीदा, जिन्हें यह अपने पिता और दादा से विरासत में मिला था। यह बिक्री, जिसका भारतीय प्रेस द्वारा "परिवार की चांदी बेचने" के रूप में विलाप किया गया, लगभग तुरंत खटास में बदल गई। ठीक एक साल बाद, दोनों भाइयों में से एक, मालविंदर सिंह ने सीईओ का पद छोड़ दिया। कंपनी और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच विवाद शुरू हो गए, और सबूत सामने आए कि रैनबैक्सी व्यवस्थित रूप से परीक्षण में घपला कर रही थी और स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने में विफल रही।

नियामक सिद्धांत

- मूल अधिनियम तब लागू किया गया था जब भारतीय दवा उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था।
- उस समय, इस कानून का मार्गदर्शक सिद्धांत खुले बाजार से दवा निरीक्षकों द्वारा खरीदी गई निर्मित दवाओं के परीक्षण पर आधारित था।
- यदि कोई दवा गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाती है, तो निर्माता को जेल हो सकती है।
- यह नियमन की सबसे कुशल प्रणाली नहीं थी क्योंकि यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती थी , क्योंकि केवल अगर एक दवा निरीक्षक ने एक निश्चित दिन पर एक निश्चित दवा चुनी और यह परीक्षण में विफल रही तो निर्माता को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- दुनिया का अधिकांश हिस्सा अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के साथ विनिर्माण इकाइयों के अनुपालन के इर्द-गिर्द विनियमन की अधिक कठोर प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है।
- सिद्धांत रूप में, जीएमपी के अनुपालन में निर्मित एक दवा इतनी जांच के अधीन है कि यह संभावना नहीं है कि यह बाजार में भेजे जाने के बाद गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाएगी।

- 1988 में, भारत ने संसद के बजाय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से जीएमपी की एक प्रणाली को शामिल किया। लेकिन फिर भी, सरकार ने जीएमपी को अपनी नियामक रणनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनाया।
- यू.एस. में, नियामकों का ध्यान यह सुनिश्चित करने में है कि विनिर्माण इकाइयां जीएमपी का अनुपालन करें।
    - अमेरिकी कानून मानता है कि जीएमपी का अनुपालन करने में विफल रहने वाले स्थान में निर्मित कोई भी दवा 'मिलावटी' है। जीएमपी अनुपालन पर इस फोकस को देखते हुए, यू.एस. कानून अपने दवा निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट के प्रकाशन को अनिवार्य करता है।
- दूसरी ओर, भारतीय कानून में जीएमपी का अनुपालन करने में विफल रहने वाली दवा कंपनियों के लिए ऐसा कोई आपराधिक दंड शामिल नहीं है।
    - अधिक से अधिक, लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि निरीक्षण रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं होती हैं, इसलिए नागरिकों को यह पता नहीं होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जीएमपी अनुपालन-संबंधी निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं।
    - यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इस तरह के निरीक्षण नहीं किए गए हैं।
- बिल इस प्रणाली को बदलने के लिए कुछ नहीं करता है। वास्तव में, यह एक बार भी जीएमपी वाक्यांश का उल्लेख तक नहीं करता है।

संघवाद का प्रश्न

- 1947 के बाद से ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की हर समीक्षा में एक मुद्दा सामने आया है, वह है पूरे भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून का असमान प्रवर्तन।
- ऐसा इसलिए है, क्योंकि अमेरिका के विपरीत, जिसके पास देश भर में दवा विनियमन को लागू करने के लिए एक एकल संघीय एजेंसी है, भारत में एक ही काम के लिए 37 एजेंसियां हैं: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उनकी स्वयं की एक एजेंसी के साथ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रण में है।
- राज्य दवा नियंत्रकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दवा निर्माण का लाइसेंस दें और घटिया दवाओं की पहचान के लिए नमूना लेने, परीक्षण और अभियोजन जैसी प्रवर्तन कार्रवाई भी करें।
- सीडीएससीओ की भूमिका आयात को विनियमित करने और यह तय करने तक सीमित है कि नई दवाओं को बेचने से पहले उनके पास पर्याप्त नैदानिक सबूत हैं या नहीं।
- पिछले कुछ वर्षों में, सीडीएससीओ ने भी गलती करने वाले निर्माताओं के परीक्षण और मुकदमा चलाने के लिए नमूने लेना शुरू कर दिया है।
- इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय नियमों और विनियमों को निर्धारित करने और उन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रभारी है जिनके पास नैदानिक साक्ष्य नहीं हैं।

कई नियामक होने से समस्या

- भारत में समान कार्य के लिए 37 एजेंसियां हैं: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक।
- इस व्यवस्था के साथ एक समस्या यह है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जहां कर अवकाश(Tax holiday) के कारण बड़ी मात्रा में फार्मास्युटिकल निर्माण होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम को लागू करने में खराब प्रदर्शन करते हैं।
- चूंकि भारत एक एकल बाजार है तो हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाएं पूरे देश में बेची जाती हैं और यहां तक कि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे अपेक्षाकृत अधिक सक्षम दवा नियामक वाले राज्य भी इन घटिया दवाओं की बाढ़ को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।
- केवल हिमाचल प्रदेश के ड्रग नियंत्रक ही उस राज्य में स्थित सुविधाओं के विनिर्माण लाइसेंस को रद्द कर सकता है।

सुझाव

- **दवा एजेंसी को केंद्रीकृत करना**
    - माशेलकर समिति ने 2003 में केंद्रीय नियामक के साथ दवा लाइसेंसिंग को केंद्रीकृत करने की सिफारिश की थी।

- **नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करें**
    - औषधि विनियमन अपने स्वभाव से ही अनिर्वाचित नौकरशाहों को नई दवा या नई निर्माण सुविधा को मंजूरी देने जैसे निर्णय लेने के लिए विशाल विवेकाधीन शक्तियाँ निहित करता है, इन दोनों का सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा उद्योग के मुनाफे पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।
    - ये निर्णय अक्सर वैज्ञानिक डेटा, निरीक्षण, रिपोर्ट आदि पर आधारित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय पारदर्शिता है।
- **सूचना का अधिकार**
    - नागरिकों के रूप में, हमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए भीख मांगते हुए नियामक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
    - इसके बजाय, कानून को ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि नियामक निर्णयों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सक्रिय प्रकटीकरण की गारंटी हो।
    - यदि कोई नई दवा स्वीकृत की जा रही है, तो नियामक को नैदानिक परीक्षण डेटा सहित सभी डेटा का खुलासा करना होगा।
    - जब भी किसी सरकारी प्रयोगशाला में किसी दवा का परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
    - जीएमपी अनुपालन के लिए प्रत्येक निरीक्षण को आम जनता के लिए सुलभ निरीक्षण रिपोर्ट के साथ समाप्त होना चाहिए।
    - जवाबदेही सुनिश्चित करने और नियामक में जनता का विश्वास बनाने का यही एकमात्र तरीका है।
    - सरकार को इस कानून को इस तरह से फिर से लिखने पर विचार करना चाहिए जो अपने डिजाइन द्वारा पारदर्शिता की गारंटी देता है।
- **निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी**
    - नये विनियमन अनिर्वाचित नौकरशाहों और टेक्नोक्रेट्स को अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति प्रदान करता है। जवाबदेही के दृष्टिकोण से, यह लोकतांत्रिक घाटे की ओर ले जाता है।
    - यही कारण है कि एक आधुनिक नियामक प्रणाली को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने के अधिकार की गारंटी देता है। नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया में पहला कदम है।
- **कानूनी माध्यम प्रदान करना**
    - जन सुनवाई या नागरिक याचिकाओं जैसे कानूनी रास्ते बनाएं जो नागरिकों को नियामक प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी आपत्तियां दर्ज करने में सक्षम बनाए।
    - उदाहरण के लिए, प्रत्येक दवा अनुमोदन प्रक्रिया के साथ एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए ताकि डॉक्टर और आम नागरिक नियामकों से सवाल कर सकें और नई दवा को मंजूरी देने के लिए उनके तर्क की व्याख्या करवा सकें।

हम आपदा मुक्त बाढ़ कैसे प्राप्त कर सकते हैं

संकट को अवसर में बदलना

- असम लगातार दो बार बाढ़ से तबाह हो गया है। मई में बाढ़ के चरम पर 2,000 से अधिक गांव और 7 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
- जैसे-जैसे बाढ़ की विपदा बढ़ी, वैसे-वैसे नदी तट का कटाव भी हुआ, अपनी चरम स्थिति में कुछ जिलों ने नदी तट कटाव की घटनाओं की सूचना दी।
- बाढ़ सुरक्षा (तटबंध) की पवित्र कब्र एक बार फिर टूट गई।
- संकट की इस घड़ी में, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उस पर विचार करना उपयुक्त है - "संकट को अवसर में बदलना"।

खतरे की रोकथाम से हटकर आपदा जोखिम को कम करने की ओर बढ़ना

- समग्र उद्देश्य जोखिम की रोकथाम से हटकर आपदा जोखिम को कम करना है।
- बाढ़ जैसे खतरे अक्सर चरम मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे मानवजनित कारकों के कारण आपदा जोखिम में तब्दील हो जाते हैं।
- मानवजनित कारक जैवभौतिकीय और सामाजिक भेद्यता के साथ एक जटिल संबंध साझा करते हैं।
- इसका एक तार्किक परिणाम बाढ़ को रोकने के लिए संरचनात्मक हस्तक्षेपों और नदी इंजीनियरिंग पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करने से दूर जाना है और इसके बजाय, अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना है जो भेद्यता के कई आयामों को संचालित करते हैं।

रणनीतियों में क्या शामिल होना चाहिए?

- कार्यनीतियों में साल भर की विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।
- जोखिम प्रबंधन केवल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसे कई विभागों में अभिसरण की आवश्यकता है।
- बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों के दायरे का विस्तार: बाढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को नदी इंजीनियरिंग और तटबंध निर्माण से अपने दायरे का विस्तार करने और भेद्यता के चालकों को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के एक समूह के माध्यम से विविध मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
- तटबंध प्रबंधन के नए मॉडल की जरूरत है।
- लचीलापन निर्माण: सामुदायिक स्तर पर, ऐसे अतिरेक होने चाहिए जो लचीलेपन के निर्माण में योगदान करते हैं: उदाहरण के लिए, असम के हर गांव में ऊंचे आश्रयों तक पहुंच होनी चाहिए, भले ही उनका उपयोग गैर-बाढ़ के महीनों के दौरान न किया गया हो।
- चेतावनी प्रणाली: चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, और इसलिए चेतावनी प्रणालियों का महत्व बढ़ जाएगा।
- स्तरीय सामुदायिक संस्थाओं के साथ अभिसरण:
    - उचित प्रशिक्षण के साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पदोन्नत किए गए स्तरीय सामुदायिक संस्थान आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदाओं के लिए समुदाय की प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- एक विशेषज्ञ संवर्ग बनाना:
    - बाढ़ जोखिम से निपटना अनिवार्य रूप से एक प्रबंधन समस्या है। इसके लिए समर्पित और प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है जो बाढ़ के जोखिम को प्रबंधित करने और लचीलापन बनाने के लिए आवश्यक अंतःविषय को समझते हैं।
    - पेशेवर संवर्गों का यह समूह जिला स्तर पर स्थित हो सकता है, जो जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा हो और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रहा है।
- जिला आपदा प्रबंधन शोध छात्रों: यह समयबद्ध और लक्ष्य-संचालित कार्य के साथ प्रशिक्षित युवा पेशेवरों का एक समर्पित समूह हो सकता है।

निष्कर्ष

बाढ़ प्रबंधन की योजना प्रक्रिया के केंद्र में तटीय आबादी, उनका जीवन और आजीविका होनी चाहिए। यह राज्य सरकारों, परोपकारी एजेंसियों, विकास कार्यान्वयनकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक साथ आने और बाढ़ प्रबंधन के लिए एक लचीला तंत्र विकसित करने का अवसर है।

भारत के राजकोषीय संघवाद की खराब स्थिति

असममित संघवाद

यह असममित राजकोषीय संघवाद, जो संविधान में ही निहित है, जीएसटी के लागू होने के साथ अधिक तेज और पारस्परिक रूप से मजबूत हुआ, जिससे केंद्र सरकार ने शक्तियां हस्तांतरित करनी की बजाय अपने पास केन्द्रित कर लीं। जबकि राज्यों ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की शुरुआत के साथ राजस्व उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो दी, उनके व्यय का प्रतिरूप भी विकृत हो गया।

संविधान निर्माताओं की क्या राय थी?

- 1949 में संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय गणतंत्र के अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने के बारे में चेतावनी दी थी।
- उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे पास राजनीति में समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। इन चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसा करने में विफल रहने और इन्हें नकारने से वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उखाड़ देंगे।
- उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय शक्ति में एक हद तक केंद्रीकरण की आवश्यकता है

वित्त आयोग पर बढ़ी निर्भरता

- ऐतिहासिक रूप से, भारत के वित्तीय हस्तांतरण ने दो स्तंभों, अर्थात् योजना आयोग और वित्त आयोग के माध्यम से काम किया।
- 2014 में योजना आयोग के उन्मूलन के कारण वित्त आयोग वित्तीय हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन बन गया क्योंकि आयोग ने 2000 के बाद से सभी करों तक अपने दायरे को विस्तृत किया है जो अपने मूल डिजाइन में केवल दो करों - आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क तक था।
- राज्य वित्त के लिए वित्त आयोग पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस नियुक्ति में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है।

राजकोषीय क्षमता को खोखला करना

- राज्यों की अपने स्वयं के राजस्व से वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने की क्षमता 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% हो गई है।
- जीएसटी का प्रभाव: जबकि राज्यों का खर्च बढ़ रहा है, उनके राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है।
    - वे अभी भी देश के कुल खर्च का 60% खर्च करते हैं, शिक्षा में 85% और स्वास्थ्य पर 82%। चूंकि अप्रत्यक्ष कर अधिकारों में कटौती के कारण(जीएसटी के तहत सम्मिलित) राज्य कर राजस्व नहीं बढ़ा सकते हैं।
- विभाज्य पूल का सिकुड़ना: यहां तक कि हस्तांतरण के बढे हुये हिस्से, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, को भी गैर-विभाजनकारी उपकर और अधिभार बढ़ाकर, जो सीधे केंद्र के पास जाते हैं, उलट दिया गया।
    - केंद्र के सकल कर राजस्व में यह गैर-विभाजक पूल 2012 में 9.43% से बढ़कर 2020 में 15.7% हो गया, जिससे राज्यों को हस्तांतरण के लिए संसाधनों का विभाज्य पूल कम हो गया।
- निगम कर में कटौती: हाल ही में निगम कर में भारी कटौती, विभाज्य पूल पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ, और राज्यों के जीएसटी मुआवजे को समाप्त करने के बहुत भारी परिणाम हुए हैं।
- विभेदक ब्याज दर: राज्यों को बाजार से उधार के लिए अलग-अलग ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो संघ द्वारा दिए जा रहे 7% के मुकाबले लगभग 10% हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ: राज्यों को संघ की योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों में बदलकर उनकी स्वायत्तता पर अंकुश लगा दिया गया है।
    - **131 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ दर्जन पर कुल आवंटन का 90% खर्च होता हैं, और राज्यों को लागत का एक हिस्सा साझा करने की आवश्यकता है।**
    - **सभी के लिए समान दृष्टिकोण से संचालित इन योजनाओं को राज्य की योजनाओं पर वरीयता दी जाती है, जो राज्यों की चुनावी रूप से अनिवार्य लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करती है।**
    - **राज्य की अपनी निधि को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगाया जाना होता है, जिससे राज्यों की अपनी योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है और यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।**

गहराती असमानता

- इस राजनीतिक केंद्रीकरण ने असमानता को और बढ़ा दिया है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

- विश्व असमानता रिपोर्ट का भारत के लिए अनुमान है कि निजी संपत्ति का राष्ट्रीय आय से अनुपात 1980 में 290% से बढ़कर 2020 में 555% हो गया, जो दुनिया में इस तरह की सबसे तेज वृद्धि में से एक है।
    - सबसे गरीब आधी आबादी के पास 6% से कम संपत्ति है जबकि शीर्ष 10% के पास लगभग दो-तिहाई संपत्ति है।

निष्कर्ष

राजनीतिक केंद्रीकरण द्वारा संचालित भारत के राजकोषीय संघवाद ने सामाजिक-आर्थिक असमानता को गहरा कर दिया है, जो भारत के संविधान निर्माताओं के सपनों को तोड़ रहा है, जिन्होंने योजना बनाने के माध्यम से ऐसी असमानताओं का इलाज सोचा था। इसने अंतर-राज्यीय असमानताओं को भी नहीं बदला है। अगर कुछ ऐसा था जो गरीबी को कम करता, असमानता को कम करता और लोगों की भलाई में सुधार करता, तो ये राज्य सरकारों की समय-परीक्षित योजनाएं थीं, लेकिन अब वे खतरे में हैं।

व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षित रखने की जरूरत

संदर्भ

पोलोनियस के इस प्रश्न कि "माननीय, आप क्या पढ़ते हैं?" के लिए हैमलेट का उत्तर था "शब्द, शब्द, शब्द"। वर्तमान में हमारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 इसी स्थिति तक घटता जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम(RTI)

- सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी इसे दुनिया के शीर्ष पांच कानूनों में वर्गीकृत करता है।
- आरटीआई नागरिकों को सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है।
- आम नागरिकों ने अपने कामकाज में सार्वजनिक प्राधिकरणों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया है।
- वास्तव में, कानून का व्यापक रूप से नागरिकों के एक व्यापक समूह द्वारा उपयोग किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता, वकील, नौकरशाह, शोधकर्ता, पत्रकार और सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य लोग शामिल हैं।
- वे सभी साधारण प्रश्न पूछ रहे हैं और सार्वजनिक धन के उपयोग पर उत्तर खोज रहे हैं, और पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगा रहे हैं।
- हमारी वर्तमान वास्तविकताओं के बावजूद आरटीआई की व्यापक समझ और उपयोग एक सहभागी लोकतंत्र का एक चमकदार उदाहरण है।

आरटीआई का खतरनाक पहलू

- अधिनियम के लागू होने के बाद से, देश भर में लगभग 100 आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए हैं और कई को दैनिक आधार पर परेशान किया जाता है।
- यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए सबसे मजबूत कानूनों में से एक की वास्तविकता है जिसे हमें मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संबोधित करना चाहिए।

कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा कहां होते हैं?

- बिहार आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खतरनाक राज्यों में से एक बनता जा रहा है।
- आरटीआई कार्यकर्ताओं की मृत्यु के मामले में बिहार पहले स्थान पर है।

कार्यकर्ताओं को बचाना सरकार की जिम्मेदारी

- इन नृशंस हत्याओं ने न केवल जवाबदेही लेने के लिए व्यवस्था से जुड़े लोगों की सुरक्षा का एक तत्काल प्रश्न उठाया है, बल्कि कानूनी सहायता, समयबद्ध शिकायत निवारण, मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और न्याय तक सम्मानजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया है।
- बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके परिवार को न्याय प्राप्ति की राह में डराया-धमकाया जाना, सरकार द्वारा कार्रवाई की कमी और शक्तिशाली निहित स्वार्थों के साथ पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है।

क्या करने की जरूरत है?

- हमले के जोखिम वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं को मानवाधिकार रक्षकों के रूप में मान्यता देता है: हमें एक सामाजिक-कानूनी प्रणाली बनाने की वकालत करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो आरटीआई कार्यकर्ताओं को मानव अधिकार रक्षकों के रूप में पहचानती है और एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जो सार्वजनिक हित के मुद्दों को आगे बढ़ाने के उनके प्रयास में सुविधा प्रदान करती है और उनकी रक्षा करती है।
- समय पर जांच पूरी करना: राज्य सरकारों को कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देना चाहिए कि वे उन सभी मामलों में तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरी जांच करें जहां आरटीआई उपयोगकर्ताओं को परेशान किया जाता है। इसमें पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए सक्रिय प्रयास करना शामिल होना चाहिए।

सक्रिय खुलासे में राजस्थान ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके जन सूचना पोर्टल के बाद कर्नाटक का माहिती कानाजा अनिवार्य प्रकटीकरण के व्यावहारिक तरीकों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

- कार्रवाई योग्य जानकारी के सक्रिय प्रकटीकरण को संस्थागत रूप देना: उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हत्या किए गए आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी वह जानकारी थी जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक डोमेन में अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना चाहिए था। इसलिए, राज्य सरकारों को कार्रवाई योग्य जानकारी के सक्रिय प्रकटीकरण को संस्थागत बनाने के लिए तत्काल प्रयास करने चाहिए।
- संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को तुरंत निर्देश देना: आरटीआई कार्यकर्ताओं की धमकियों, हमलों या हत्याओं के सभी मामलों में, राज्य सूचना आयोग को तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्देश देना चाहिए कि वे उठाए गए सभी प्रश्नों और कार्यकर्ता को दिए गए उत्तरों का खुलासा और प्रचार करें।
- प्रभावी कानून: व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
    - राज्य सरकारों, जैसे कि बिहार और महाराष्ट्र, जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, को कम से कम एक राज्य-स्तरीय व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून बनाकर व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के तंत्र को प्रस्तुत करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला/राय है?

- 2016 में, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 2014 के व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को अधिसूचित करने में अनिच्छा के लिए केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक "पूर्ण निर्वात" की स्थिति है जिसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है।
- केंद्र सरकार को व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा तय करने के लिए कहा गया था। ऐसे शब्द जिनका केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आठ साल बीत चुके हैं और प्रस्तावित अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

हमारे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मौत का सामना कर रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करना ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिरकार, व्हिसल ब्लोअर सार्वजनिक सतर्कता का एक बुनियादी नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसे सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए और समय पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

GS PAPER 3

एक अक्षय क्रांति

कुछ देशों की चिंताजनक प्रतिक्रिया

एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो(नीरो, जूलियो-क्लाउडियन राजवंश के पांचवें रोमन सम्राट और अंतिम सम्राट थे) बासुरी बजा रहा था। आज, कुछ नेता इससे बदतर कर रहे हैं। वे आग पर ईंधन फेंक रहे हैं। वस्तुत: दुनिया भर में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के परिणाम के रूप में, बढ़ते ऊर्जा संकट के लिए कुछ देशों की प्रतिक्रिया जीवाश्म ईंधन पर दोगुनी हो गई है, जो कि जलवायु आपातकाल को गहरा कर रहे कोयले, तेल और गैस में अरबों डॉलर अधिक डाल रहे हैं।

जीवाश्म ईंधन जवाब नहीं हैं

- सभी जलवायु संकेतकों ने रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा है, जो भविष्य में भयंकर तूफान, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और ग्रह के विशाल क्षेत्रों में न रह पाने योग्य तापमान की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
- जीवाश्म ईंधन जवाब नहीं हैं, और न ही कभी होंगे। हम उस नुकसान को देख सकते हैं जो हम ग्रह और हमारे समाज को कर रहे हैं।
- जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट का कारण हैं।

जीवाश्म ईंधन का परित्याग

- नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु व्यवधान को सीमित कर सकती है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है।
- अक्षय ऊर्जा 21वीं सदी की शांति योजना है। लेकिन तेजी से और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की लड़ाई एक स्तर के मैदान पर नहीं लड़ी जा रही है।
- निवेशक अभी भी जीवाश्म ईंधन का समर्थन कर रहे हैं, और सरकारें अभी भी कोयले, तेल और गैस के लिए अरबों की सब्सिडी देती हैं - लगभग 11 मिलियन डॉलर प्रति मिनट की सब्सिडी।
- ऊर्जा सुरक्षा, स्थिर बिजली की कीमतों, समृद्धि और रहने योग्य ग्रह का एकमात्र सही रास्ता प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन को त्यागना और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा संक्रमण को तेज करना है।

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्री योजना

- हमें अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाना चाहिए, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बौद्धिक संपदा बाधाओं को दूर करना शामिल है।
- हमें अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, घटकों और कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना चाहिए।
- हमें सौर और पवन परियोजनाओं को रोकने वाली लालफीताशाही को खत्म करना चाहिए। हमें बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन तथा अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
- विश्व स्तर पर कमजोर देशो और वर्गों को ऊर्जा के झटके से बचाने के लिए दुनिया को जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा सब्सिडी को स्थानांतरित करना चाहिए और एक स्थायी भविष्य के लिए एक उचित संक्रमण में निवेश करना चाहिए।
- हमें अक्षय ऊर्जा में तीन गुना निवेश करने की जरूरत है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंक और विकास वित्त संस्थान और साथ ही वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

क्या किया जाना चाहिए?

- सभी वैश्विक नेताओं को अधिक तत्परता दिखाने की आवश्यकता है।

- हम पहले से ही खतरनाक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के करीब हैं जो विज्ञान हमें बताता है कि सबसे खराब जलवायु प्रभावों से बचने के लिए तापन(वार्मिंग) का अधिकतम स्तर है।
- हमें 2030 तक उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना चाहिए और सदी के मध्य तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना चाहिए।
    - लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से इस दशक में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो प्रलय का बोध कराती है।

इसका जवाब अक्षय ऊर्जा में निहित है

- जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा, और उन करोड़ों लोगों को स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए जिनके पास वर्तमान में इसकी कमी है।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति को अस्वीकार करने के लिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है।
- जहां तेल और गैस की कीमतें रिकॉर्ड कीमत स्तर पर पहुंच गई हैं, वहीं अक्षय ऊर्जा हर समय सस्ती होती जा रही है।
    - सौर ऊर्जा और बैटरियों की लागत पिछले एक दशक में 85 प्रतिशत घट गई है। पवन ऊर्जा की लागत में 55 फीसदी की गिरावट आई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश जीवाश्म ईंधन की तुलना में तीन गुना अधिक रोजगार पैदा करता है।
- जैसे-जैसे हम जीवाश्म ईंधन से खुद को मुक्त करते हैं केवल जलवायु को ही लाभ नहीं होगा बल्कि इसके लाभ व्यापक होंगे। खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ ऊर्जा की कीमतें कम और अधिक अनुमानित होंगी।
- जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे भोजन और उन सभी वस्तुओं की लागतें भी बढ़ जातीं हैं जिन पर हम निर्भर हैं। तो, आइए हम सभी सहमत हों कि एक तीव्र नवीकरणीय क्रांति आवश्यक है और जब हमारा भविष्य जल रहा है तब संगीत बजाना बंद करें।

निष्कर्ष

केवल अक्षय ऊर्जा ही जलवायु संकट का समाधान नहीं है। वनों की कटाई और भूमि क्षरण को उलटने जैसे प्रकृति-आधारित समाधान आवश्यक हैं। इसी तरह ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जाने चाहिए, साथ ही तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए।

अपरिष्कृत तेल(क्रूड आयल) का समाधान

अप्रत्याशित कर(Windfall Tax) का अधिरोपण: एक असाधारण निर्णय

असाधारण समय असाधारण उपायों की मांग करता है। घरेलू कच्चा तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ उपकर, पेट्रोल एवं विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) निर्यात और डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के लिए पिछले सप्ताह केंद्र के फैसले के लिए यह सबसे उचित स्पष्टीकरण प्रतीत होता है।

निर्यातकों की ओर से घोषणा

- निर्यातकों को यह भी घोषित करना होगा कि वे अपनी निर्यात मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत घरेलू बाजारों में आपूर्ति करेंगे।
- राहत की बात यह है कि 2 मिलियन बैरल से कम कच्चे तेल के उत्पादन वाले छोटे उत्पादकों को विंडफॉल उपकर से छूट दी जाएगी, और इसके साथ ही बड़ी कंपनियों द्वारा पिछले साल के उत्पादन से अधिक हुए उत्पादन पर भी छूट दी जाएगी।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष और कोविड के बाद की बढ़ती मांग के कारण पिछले चार महीनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर से अधिक हो गई है, ऐसे में भारत स्थित तेल रिफाइनर और अपस्ट्रीम उत्पादकों ने हाल के महीनों में बहुत अधिक लाभ कमाया है।

केंद्र का उद्देश्य

- इन उपायों की श्रृंखला के पीछे केंद्र के दो उद्देश्य प्रतीत होते हैं।
    - एक, घरेलू बाजार में परिवहन ईंधन की आपूर्ति बढ़ाना
    - दूसरा, कच्चे तेल के उत्पादक और रिफाइनर अपनी चालक रणनीति के माध्यम से जो अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं, उससे लाभ उठाना।
- ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांत जैसी अपस्ट्रीम कंपनियां, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल विपणन कंपनियों को कच्चा तेल बेचती हैं, उनकी कमाई 70-80 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल हो गई है।
    - केंद्र अब इसमें से 40 डॉलर प्रति बैरल के रूप में स्वयं लेने का प्रयास कर रहा है, जिसका तर्क है कि यह "अप्रत्याशित" है।

निजी रिफाइनर कैसे भारी मुनाफा कमा रहे थे?

- रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियां भारी छूट वाली कीमतों पर रूसी कच्चे तेल का आयात कर रही हैं और वैश्विक बाजारों में परिष्कृत उत्पादों की बिक्री कर रही हैं, इस प्रकार सामान्य $12-13 प्रति बैरल के मुकाबले $20/30 प्रति बैरल की अधिक कमाई कर रही है।

ईंधन की कमी का कारण क्या है?

- निर्यात बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी रिफाइनिंग क्षमताओं के पथांतर(Diversion) ने घरेलू ईंधन की कमी को लगभग पूरी तरह से बढ़ा दिया है, कुछ राज्यों में पंप सूख गए हैं।

होशियार कदम

- यदि आरोपित राशि मार्च 2023 तक बनी रहती है तो केंद्र के लिए लगभग 52,000 करोड़ रूपये के राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।
- इस कदम की चतुराई इस तथ्य में निहित है कि यह लेवी(levies) खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी और पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व के नुकसान की भरपाई करते हुए मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- वृहद-आर्थिक दृष्टिकोण से, अतिरिक्त राजस्व निश्चित रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है।

सुझाव

- केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अप्रत्याशित लाभ और ईंधन पर निर्यात कर अस्थायी कदम हो।
- केंद्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि तदर्थ उपकर लगाने से अवसरवादी राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह अच्छी आर्थिक नीति नहीं बन सकती है।
- लंबे समय में, भारत के लिए अपने घरेलू अन्वेषण प्रयासों को तेज करना और कच्चे तेल पर अपनी आयात निर्भरता को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अच्छे समय के दौरान अपस्ट्रीम कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे को विनियोजित करना, जबकि बुरे समय में उनका समर्थन करने के लिए कुछ नहीं करना, तेल व्यापार क्षेत्र के अनुकूल नहीं है।
- रिफाइनर और उत्पादकों के वाणिज्यिक निर्णयों में अचानक हस्तक्षेप भी भविष्य में इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने या सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के प्रयासों को कमजोर करेगा।
- भारत में उपकर एक बार लगाए जाने के बाद वादा किए गए कार्यकाल से अधिक समय तक लगाये रखने की प्रथा है।
- इस मामले में, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इन शुल्कों की समय-समय पर समीक्षा करे ताकि अप्रत्याशित लाभ समाप्त होते ही इन उपकरों को समाप्त किया जा सके।

अपस्ट्रीम कंपनियां

अपस्ट्रीम सेक्टर में वे कंपनियां शामिल होती हैं जो तेल या गैस (अन्वेषण) के भंडार की खोज करती हैं और फिर ड्रिलिंग या अन्य तरीकों से इसका निष्कर्षण करती हैं। अपस्ट्रीम में संबंधित सेवा कंपनियां भी शामिल हैं जैसे कि रिग संचालन, व्यवहार्यता अध्ययन, मशीनरी किराए पर लेने और रासायनिक आपूर्ति की निकासी में काम करने वाली कंपनियां।

पर्यावरण कानूनों में संशोधन

संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय(जिसे भारत के जंगलों और इसकी पर्यावरणीय संपत्तियों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है) ने प्रमुख पर्यावरण कानूनों के वर्गों में संशोधन करने और संभावित उल्लंघनकर्ताओं के लिए उन्हें कम खतरनाक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

वर्तमान प्रावधान

- भारत में कानून के आठ आधारशिला हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढांचे को परिभाषित करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का बेवजह दोहन नहीं किया जाये, प्रदूषण के कृत्यों पर रोक लगाई जाए और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और रोकने के लिए एक तंत्र का निर्माण हो।

- मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत, उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- उल्लंघन जारी रहने पर, हर दिन के लिए 5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जिसके दौरान दोषसिद्धि के बाद भी ऐसे उल्लंघन जारी रहते है।
- जेल की सजा को सात साल तक बढ़ाने का भी प्रावधान है।

प्रस्तावित संशोधन

- प्रस्तावित नए संशोधनों के तहत, साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास का भय समाप्त हो जाएगा क्योंकि ऐसे उल्लंघनों पर केवल मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा।
- हालांकि, गंभीर पर्यावरणीय अपराध जो गंभीर चोट या मौत का कारण बनते हैं, भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास को आमंत्रित करेंगे।
- ये दंड एक 'न्यायनिर्णयन अधिकारी' द्वारा तय किया जाएगा और 'पर्यावरण संरक्षण कोष' में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इसके अलावा, संभावित जुर्माने की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- प्रस्तावित संशोधन वनों और वन्यजीवों के विनाश को कवर नहीं करते हैं, जो पर्यावरण अपराध का एक बड़ा हिस्सा हैं, और मौजूदा दंड प्रावधानों को आमंत्रित करना जारी रखेंगे।

शोध में क्या पाया गया है?

- शोध से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में पर्यावरण संबंधी अपराध पर जुर्माना सजा का सबसे आम तरीका है।

पर्यावरण अपराध और भारत

- भारत में कॉर्पोरेट उल्लंघनों का एक लंबा इतिहास रहा है और साथ ही साथ एक बेहद धीमी निवारण प्रणाली भी है।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया कि भारतीय अदालतों ने पर्यावरण उल्लंघन के मामलों के बैकलॉग को निपटाने में 9-33 साल का समय लिया।

जुर्माने से मदद नही मिलेगी, लेकिन फिर कैसे मदद होगी?

- जुर्माना सैद्धांतिक रूप से तेजी से निवारण में मदद कर सकता है, अदालतों में बड़े पर्यावरणीय जुर्माने का विरोध जारी रहेगा और यह मंद न्याय की प्रचलित प्रथा को जारी रखेगा।
- कारावास के खतरे ने भारत में एक निवारक के रूप में काम किया हो सकता है जहां पर्यावरण विनियमन की प्रभावशीलता औसत से कम है।
- कानून के साथ छेड़छाड़ करने से पहले पर्यावरण संबंधी अपराधों के लिए न्याय शीघ्र और समान रूप से दिया जाना चाहिए।

सतर्क रहना(Staying watchful)

संदर्भ

सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 7 प्रतिशत से ऊपर और छह महीने के लिए आरबीआई के 6 प्रतिशत ऊपरी सहिष्णुता लक्ष्य से ऊपर है।

खुदरा मुद्रास्फीति के हालिया आंकड़े क्या दिखाते हैं

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का कुछ प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा गया मूल्य लाभ , मई के 7.04% से जून में लगभग स्पष्ट रूप से 7.01% तक कम हो गया, वहीं खाद्य मूल्य वृद्धि 22 आधार अंकों की गिरावट के साथ 7.75% हो गई।
- खाद्य और पेय पदार्थों की टोकरी वाली 12 वस्तुओं में से, सीपीआई का लगभग आधा भार, दालों और खाद्य तेलों की कीमतें एक महीने पहले से घट गईं।

- प्रमुख खाना पकाने के पदार्थ की कीमतें, जो आपूर्ति की कमी (यूक्रेन और इंडोनेशिया से) के कारण बढ़ते मूल्य की सामना कर रही थी, आयात शुल्क में कमी से मदद मिली हैं।
- साल दर साल तेल और वसा में मुद्रास्फीति पिछले महीने 390 आधार अंकों की भारी गिरावट के साथ 9.4% हो गई।
    - और दालों की कीमतें एक साल पहले और पिछले महीने दोनों की तुलना में कम हो गई है।
- नीतिगत उपाय का दूसरा प्रमुख सकारात्मक संकेत जो कीमतों में कमी करने से संबंधित है, वह परिवहन ईंधन था।
    - मई में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र की उत्पाद शुल्क में कमी परिवहन और संचार सूचकांक में मुद्रास्फीति में एक महत्वपूर्ण कमी के रुप में प्रकट हुई: साल दर साल, दर 260 आधार अंकों से 6.9% तक धीमी हो गई, जबकि क्रमिक रूप से यह 120 आधार अंकों तक सिकुड़ गई। .

अमेरिका का मामला

- अमेरिका उपभोक्ता कीमतों में जून में 9.1% की वृद्धि हुई, गैसोलीन, भोजन और किराए की अत्यधिक उच्च लागत के बीच चार दशकों से अधिक समय में सबसे बड़ी वृद्धि है, जिसे इस महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में एक और वृद्धि(75 आधार अंकों की) का निर्णय पुख्ता करती है।
- श्रम विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष दर वर्ष अपेक्षित वृद्धि से अधिक वृद्धि ने स्वास्थ्य सेवा, मोटर वाहनों, परिधानों के साथ-साथ घरेलू फर्नीचर के लिए उच्च कीमतों को भी दर्शाया।
- कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति ने आगामी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक में एक और दर वृद्धि की मांग की है। एफओएमसी एक फेडरल रिजर्व समिति है जो अमेरिकी ब्याज दरें तय करती है

भारत पर इसका प्रभाव:

यह भारत को तीन संभावित तरीकों से प्रभावित करेगा:

- सबसे पहले, भारत मुद्रा ले जाने के व्यापार के लिए एक कम आकर्षक गंतव्य बन जाएगा क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच अंतर ब्याज दर कम हो रही है।
- दूसरा, अमेरिकी ऋण बाजारों में उच्च रिटर्न भी उभरते बाजार इक्विटी में एक मंथन को गति प्रदान कर सकता है, जो विदेशी निवेशकों की भारत में निवेश करने की भावना को कम कर देगा।
- तीसरा, भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों से बहिर्वाह के कारण इसका मुद्रा बाजारों पर संभावित प्रभाव पड़ेगा।
- पहले से ही, भारत के मामले में, वित्तीय वर्ष 22 में $39 बिलियन से वित्त वर्ष 23 में CAD के $ 105 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद के बीच एफपीआई द्वारा लगातार नौ महीनों की बिक्री का भार भारतीय रुपये पर पड़ रहा है।
- कुल मिलाकर, डॉलर में तेजी की पृष्ठभूमि और सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत के BoP घाटे की उम्मीद रुपये को मध्यम दबाव में बनाए रख सकती है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 23 के अंत से पहले रुपया 81 के स्तर तक गिर जाएगा।

आगे

नीति-निर्माताओं के लिए सुरक्षात्मक उपायों को छोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी।

- खाद्य और पेय पदार्थों की टोकरी में 12 में से नौ वस्तुओं के साथ, उप सूचकांक के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हुए अनाज, दूध और मांस से लेकर सब्जियों, चीनी और मसालों, क्रमिक मूल्य लाभ का अनुभव करते हुए, सरकार को इसके प्रति सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- अनाज, मांस और दूध में साल दर साल मई महीने से जून में तेजी आई, और सब्जियों में मूल्य लाभ अभी भी 17.4% पर दोहरे अंकों में बना हुआ है।
- मॉनसून की बारिश की प्रगति उम्मीद देती है कि आने वाले महीनों में कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं, बशर्ते कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से फसल उगाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- और हाल के सत्रों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय नरमी से कुछ राहत मिली है, डॉलर के मुकाबले रुपये के तेज मूल्यह्रास का मतलब है कि भारत 'आयातित मुद्रास्फीति' के खतरे का सामना करना जारी रखेगा क्योंकि कच्चे तेल सहित आयात का बिल बढ़ता रहता है।
- बड़े पैमाने पर उपभोग की कुछ वस्तुओं सहित वस्तुओं की एक श्रृंखला पर टैरिफ बढ़ाने का जीएसटी परिषद का निर्णय भी कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालने के लिए बाध्य है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

- भारत के वित्त मंत्री की टिप्पणी इस मान्यता को दर्शाती है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की कमी विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता को कमजोर करती है।

आयातित मुद्रास्फीति

- आयातित मुद्रास्फीति को किसी देश की विनिमय दर के अवमूल्यन द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
- आयातित उत्पादों की लागत में वृद्धि के कारण आयातित मुद्रास्फीति एक सामान्य और स्थायी मूल्य वृद्धि है। यह मूल्य वृद्धि किसी देश में कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और सभी आयातित उत्पादों या सेवाओं की कीमत से संबंधित है। आयातित मुद्रास्फीति को लागत मुद्रास्फीति भी कहा जाता है।
- आयातित मुद्रास्फीति भी किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण होती है। विदेशी मुद्रा बाजार में जितना अधिक मुद्रा का मूल्यह्रास होता है, आयात की कीमत उतनी ही अधिक होती है। प्रभावी रूप से, देश के बाहर सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- आयातित मुद्रास्फीति के साथ, कंपनियों के लिए उत्पादन लागत अधिक होती है। ये कंपनियां अक्सर बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री मूल्य में इस वृद्धि को दर्शाती हैं। नतीजतन, देश के भीतर कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार आयातित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का कारण बनती है।

उदाहरण-

- आइए एक फ्रांसीसी कंपनी का उदाहरण लेते हैं जो सूती कपड़े बनाती है। इन कपड़ों के निर्माण में सक्षम होने के लिए, कंपनी को विदेशों से कपास खरीदना होगा, क्योंकि फ्रांस कपास उत्पादक नहीं है। इसलिए यह यूरो के साथ कपास का आयात करता है। यदि यूरो का मूल्य कपास निर्यातक देश की मुद्रा के मुकाबले गिरता है, तो उसे कपास आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिक यूरो का भुगतान करना होगा। अपने लाभ अंतराल को बनाए रखने के लिए, कंपनी फ्रांस में अपने कपड़ों की बिक्री मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लेती है। यह तब आयातित मुद्रास्फीति है, क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण फ्रांस में बेचे जाने वाले कपड़ों की बिक्री कीमतों में वृद्धि हुई है।

कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में व्यवस्थित संक्रमण

ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता

- महामारी की शुरुआत के बाद से और पिछले कुछ महीनों में, यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद, वस्तुओं की कीमतें, विशेष रूप से ऊर्जा की कीमतों में, दुनिया भर में उछाल आया है।
- कई देशों में अभूतपूर्व स्तर पर मुद्रास्फीति के साथ, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं प्रमुख हो गई हैं।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक(NCI)

- हाल ही में, भारत में कोयला क्षेत्र में कई नीतिगत पहलें की गई हैं।
- उनमे से एक राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) की शुरूआत है जिस पर काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया है।
    - यह सूचकांक कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के बाद निष्पादित होने वाले राजस्व-साझाकरण अनुबंधों के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
    - NCI को पेश करना पड़ा था क्योंकि कोयले के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में आयातित कोयला शामिल नहीं था।
    - पिछले छह महीनों से, कोयले के लिए थोक मूल्य सूचकांक लगभग 131 पर स्थिर रहा है। इसी अवधि के दौरान, एनसीआई लगभग 165 से बढ़कर लगभग 238 हो गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि को दर्शाता है।

घरेलू कोयला उद्योग की अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि पर प्रतिक्रिया

- घरेलू कोयला उद्योग ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक कोयला उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ इस स्थिति का जवाब दिया है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद मिली है।

- यह विकास अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कीमत में अस्थिरता के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है।

वाणिज्यिक खनन की अनुमति

- समस्याओं को देखते हुए, निजी क्षेत्र को अधिक कोयले का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया गया है।
- प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद, पिछले दो वर्षों में लगभग 50 अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया है।

और क्या करने की जरूरत है?

- **वित्तीय समुदाय को संवेदनशील बनाना:** बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय समुदाय को घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना होगा।
- **राष्ट्रीय विद्युत नीति को अंतिम रूप देना:**
  - बिजली मंत्रालय ने मौजूदा संकट के शुरू होने से पहले मई 2021 में जारी अपनी राष्ट्रीय बिजली नीति के मसौदे में देश में कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान की थी।
  - इस नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
  - इसे घरेलू कोयला आधारित उत्पादन के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए।
- **पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी):** सरकार के अलावा, उद्योग को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानदंडों के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए वित्तीय समुदाय के साथ भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए।
- **एक नियामक की आवश्यकता:**
  - निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक नियामक की आवश्यकता है।
  - मौजूदा व्यवस्थाएं ऐसे समय में की गई थीं जब सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा था।
  - ऐसे कई मुद्दे हैं जहां नए निजी वाणिज्यिक खनिकों को मदद की आवश्यकता होगी।
  - एक समर्पित नियामक के रूप में उद्योग के लिए संपर्क का एक बिंदु निजी उद्यमों को बहुत आराम देगा और आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा।
- घरेलू सुरक्षा बढ़ाना:
  - कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन आधार में विविधता लाना दोनों ही आवश्यक हैं।
  - इसे उत्पादित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
  - कोयले और कोयला आधारित उत्पादन की उच्च कीमतें केवल आयातित कोयले को प्रोत्साहित करेंगी और देश को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों से मूल्य जोखिम के लिए उजागर करेंगी।
- **कोयला सब्सिडी व्यवस्था में सुधार:** विभिन्न क्रॉस सब्सिडी के कारण कोयला क्षेत्र पर अनुचित वित्तीय बोझ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

क्रॉस-सब्सिडी (Cross Subsidy): किसी एक वर्ग या समूह को कम दरों पर सेवाएँ या उत्पाद उपलब्ध करने के लिये किसी दूसरे समूह से अधिक/अतिरिक्त शुल्क वसूल करने की प्रक्रिया क्रॉस सब्सिडी कहलाती है।

- **ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं कोयला :** ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक के रुप में कोयले को देखने से भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं का एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण मिलेगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर क्रमिक परिवर्तन:** 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का मार्ग क्रमिक होना चाहिए, जिससे एक व्यवस्थित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके क्योंकि निकट भविष्य में कोयला अपरिहार्य है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

निष्कर्ष

कोयले के आयात को कम करने और कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में कोयला उद्योग में बदलाव सही दिशा में है। ये लंबे समय से लंबित थे। ऊपर चर्चा किए गए मुद्दों पर कार्रवाई से इन सुधारों को गहरा और मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो पिछले कुछ महीनों में सामने आई चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं।

भारत की विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

जैसे ही स्कूल फिर से खुलते हैं, राज्यों के पास सेवाओं के व्यापक पैकेज को देखने की आवश्यकता और अवसर है।

स्कूली बच्चों को लक्षित करने के लिए ठोस नीति का समय

- COVID-19 महामारी के मद्देनजर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के बाद पूरे भारत में बच्चे इन-पर्सन कक्षाओं के लिए स्कूल वापस आ गए हैं।
- यह ठोस नीतिगत उपायों और कार्रवाइयों का समय है जो स्कूली बच्चों को लक्षित करते हैं।
- शिक्षा के मोर्चे पर, जबकि 'लर्निंग रिकवरी' पर कुछ चर्चा हुई है, स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की तत्काल आवश्यकता है।

स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं पर अपर्याप्त नीतिगत ध्यान देने के कारण

- न केवल भारत में, बल्कि अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गलत तरीके से डिज़ाइन की गई और अक्सर बहुत ही अल्पविकसित स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के कारणों में से एक, अच्छी तरह से काम करने वाली और प्रभावी स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सीमित समझ और स्पष्टता है।
- अंतरराष्ट्रीय साहित्य द्वारा निर्देशित बहुत सारे सबूतों के बावजूद यह स्थिति सह-अस्तित्व में है।
- स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं पर अपर्याप्त नीतिगत ध्यान दिया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को अक्सर चिकित्सा देखभाल की ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाता है।

उन्हें क्या चाहिए?

- हालांकि स्कूली उम्र के बच्चों में बीमारी की दर अपेक्षाकृत कम होती है (और इस प्रकार सीमित चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है), परन्तु उनमें भी एक विस्तृत श्रृंखला और आयु-विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताएं होती हैं जो अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों, अनियमित नींद, शारीरिक गतिविधि की कमी, मानसिक, दांत और आंखों की समस्याएं, यौन व्यवहार, और तंबाकू और अन्य पदार्थों का उपयोग, व्यसन, आदि हैं।
- इसके बाद सीखा गया स्वास्थ्य ज्ञान और स्कूल जाने की उम्र में अपनाई गई जीवन शैली को वयस्कता में रहने और अपने शेष जीवन के लिए स्वस्थ व्यवहार की नींव रखने के लिए जाना जाता है।
- उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि यदि स्कूल में तंबाकू बंद करने के प्रयास शुरू किए जाएं तो वे कहीं अधिक सफल होते हैं।

दिल्ली का उदाहरण

- मार्च 2022 के पहले सप्ताह में, दिल्ली सरकार ने और अधिक के वादे के साथ 20 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक शुरू किए।
- हालांकि प्रयास छोटा है परन्तु इस पहल के दो संदेश हैं।
    - एक, यह महामारी के बाद की अवधि में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को पहचानता है।
    - दूसरा, स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहु-हितधारक साझेदारी का महत्व, क्योंकि ये एक तरफ एक दाता से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के वित्तपोषण के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के बीच आंतरिक सहयोग से।
- दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार के अपने दावे के अनुसार, ये क्लीनिक उपचारात्मक केंद्रित सेवाएं हैं।
- वे मुख्य मुद्दे को भी उजागर करते हैं: यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है कि क्या व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को बनाता है।

FRESH(Focusing Resources on Effective School Health) दृष्टिकोण

- यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विश्व बैंक ने एक अंतर-एजेंसी ढांचा प्रकाशित किया है जिसे फ्रेश (प्रभावी स्कूल स्वास्थ्य पर केंद्रित संसाधन) कहा जाता है।

- FRESH ढांचा और उपकरण चार मुख्य क्षेत्रों और तीन सहायक रणनीतियों का प्रस्ताव करते हैं।
- मुख्य क्षेत्रों से पता चलता है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूल स्वास्थ्य नीतियों, यानी पानी, स्वच्छता और पर्यावरण, कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल आधारित स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- सहायक रणनीतियों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों, सामुदायिक भागीदारी और छात्र भागीदारी के बीच प्रभावी भागीदारी शामिल है।

सुझाव

- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय जरूरतों के आकलन के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए; और इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य शिक्षा, देखभाल के लिए स्क्रीनिंग और/या रेफरल और जरूरी समर्थन के घटक होने चाहिए।
- स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी की रोकथाम, शीघ्र निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई, बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और एक स्वस्थ स्कूल वातावरण के प्रावधान को सक्षम करना है।

स्कूल के दोबारा खुलने से अवसर

- जैसे-जैसे स्कूल पूरी क्षमता से फिर से खुलते हैं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता और अवसर है।
- प्रत्येक भारतीय राज्य को स्थिति की समीक्षा करने और फिर एक विस्तृत समयरेखा और समर्पित बजटीय आवंटन के साथ, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है।
    - स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है और उठाया भी जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य वार्ता और जीवन शैली सत्र (विद्यालय के शिक्षकों और आमंत्रित चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा) शिक्षण का एक हिस्सा होना चाहिए जैसे शारीरिक गतिविधि सत्र होते हैं।
- शिक्षण में किशोर यौन स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए; साथ ही, मासिक धर्म स्वच्छता आदि जैसे विषयों को नियमित कक्षा शिक्षण में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए ऑनलाइन परामर्श के साथ पूरक बनाया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सामान्य करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।
- माता-पिता की भूमिका और भागीदारी, विशेष रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से बढ़ाई जानी चाहिए।
- माता-पिता को इस बारे में सुग्राही बनाने की आवश्यकता है कि अन्य देशों में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रदान की जाती हैं; यह स्कूली स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण जवाबदेही तंत्र के रूप में काम कर सकता है।
- माता-पिता, परिवारों और यहां तक कि स्कूली शिक्षकों को सीमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले अभिनव दृष्टिकोण उपयोग, स्वीकृति और मांग को बढ़ा सकते हैं।

निजी स्कूलों को भी शामिल करें

- सरकार की स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की पहल में ज्यादातर समय निजी स्कूल शामिल नहीं होते हैं। निजी स्कूलों में कुछ स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जो लगभग हमेशा उपचारात्मक देखभाल और आपात स्थितियों की देखभाल तक ही सीमित होती हैं।
    - स्पष्ट रूप से, स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूली बच्चों की देखभाल के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, चाहे वे निजी या सरकारी स्कूलों में हों।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम की समीक्षा करें

- आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत, 2020 की शुरुआत में एक स्कूल स्वास्थ्य पहल शुरू की गई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन उप-इष्टतम(sub-optimal) है।
    - इस पहल की समीक्षा करने, पर्याप्त मानव संसाधन लाने के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन बढ़ाने और ठोस परिणाम संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन की निगरानी करने की आवश्यकता है।
    - अन्यथा, यह अंत में एक 'चूका हुआ अवसर(Missed Opportunity)' बन जाएगा।

गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता

- ऐसी खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की सलाह दी थी।
- ऐसी खबर है कि कुछ पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए थे और स्कूलों में स्वास्थ्य जांच करने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मेडिकल इंटर्न और छात्रों को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था।
- किसी मुद्दे पर ऐसा दृष्टिकोण जिसके लिए गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है यह 'केवल सांकेतिक' है। भारत के बच्चों को इससे बेहतर हैंडलिंग की जरूरत है।

एक आम मंच

- हर चुनौती की एक उम्मीद होती है।
- हर भारतीय राज्य में स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों पर बच्चों के सर्वोत्तम हित में सब कुछ करने का दायित्व है।
- प्रत्येक भारतीय राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
- यह भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों को एक साझा मंच पर लाने का एक अवसर है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अभिसरण के परिणामस्वरूप प्रत्येक भारतीय राज्य में व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान होना चाहिए।

निष्कर्ष

बच्चे समाज का भविष्य हैं, लेकिन तभी जब वे स्वस्थ और शिक्षित हों। इसलिए, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य के पेशेवर संघों और बाल रोग विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है और प्रत्येक नागरिक को इस मुद्दे को उठाना चाहिए तथा भारत के हर राज्य में बेहतर स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की दिशा में काम करना चाहिए।

भारत के निवेश-आधारित पुनरुद्धार पर वजन

वित्त मंत्री ने हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) की बैठक में कहा कि भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाएं सार्वजनिक पूंजी व्यय कार्यक्रमों में अंतर्निहित हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से निजी निवेश में वृद्धि होगी (या खींचेगी), इस प्रकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा।

क्राउड-इन

क्राउड-इन एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब उच्च सरकारी खर्च से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है और इसलिए अधिक लाभदायक निवेश अवसरों की उपस्थिति के कारण फर्मों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व में आर्थिक विकास: अतीत से केस स्टडी

- सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि में एक सम्मानजनक शैक्षणिक इतिहास (वंश) है, और यह भारत के स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास के लिए स्पष्टीकरण का एक विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करता है।
- यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद जब इसे मंदी का सामना करना पड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सार्वजनिक सड़क निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज (उच्च गुणवत्ता वाले सड़क नेटवर्क का उपयोग करके मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ('असंबद्ध बस्तियों के लिए सभी मौसमों में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए') के रूप में, इन पहलों ने आर्थिक पुनरुद्धार के बीज बोए, 2000 के दशक में एक निवेश और निर्यात-आधारित उछाल में परिणत; जीडीपी 8% -9% सालाना की दर से बढ़ी।

निवेश में पिछड़ापन

- इसकी तुलना में, 2010 के दौरान निवेश का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। हालांकि, वास्तविक सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) दर में हालिया वृद्धि स्पष्ट है।यह अनुपात 2015-16 में 30.7 फीसदी के निचले स्तर से 2019-20 में 32.5% हो गया (आंकड़ा)।

Will the investment uptick insulate India?

A fall in industry and agriculture's shares, despite an investment turnaround, could constrict the response to current external exigencies

TABLE: SHARES OF GROSS CAPITAL FORMATION/GDP

Year	Agriculture	Industry	Manufacturing	Services	Transport	Road
	(1)	(2)	(2.1)	(3)	(3.1)	(3.1.1)
2011-12	8.5	38.1	19.2	47.3	8.1	3.7
2014-15	7.7	33.7	17.6	49.0	6.1	1.9
2019-20	6.4	32.5	16.5	52.3	12.9	3.1

Note: Gross fixed investment rate is defined as gross capital formation excluding "valuables" (read gold) and inventories. For this reason, the items (1), (2) and (3) do not add up to 100. | SOURCE: NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS, 2021

- वित्त मंत्री ने दावा किया है कि सरकार ने नोवल कोरोनावायरस महामारी (2020-21 और 2021-22) के दौरान भी निवेश की गति को बनाए रखा है।
- वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के जून संस्करण के अनुसार, 2021-22 में जीडीपी अनुपात में निश्चित निवेश 32% था।
- हालांकि, नवीनतम डेटा को पढ़ने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वे संशोधन के अधीन हैं।
- इसके अलावा, निवेश की बजटीय परिभाषा वित्तीय निवेश को संदर्भित करती है (जिसमें मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद, या राज्यों को दिए गए ऋण शामिल हैं) न कि केवल पूंजी निर्माण जो उत्पादक क्षमता के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीसीएफसी)

- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) को "निवेश" भी कहा जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सकल पूंजी निर्माण से तात्पर्य 'स्थिर संपत्तियों में सकल परिवर्धन (अर्थात निश्चित पूंजी निर्माण) और गणना अवधि के दौरान शेयरों में परिवर्तन' से है।
- अचल संपत्ति से तात्पर्य निर्माण, मशीनरी और उपकरण से है।

सकल पूंजी निर्माण पर

- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्षेत्रों के आधार पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) का पृथक्करण प्रदान करती है, जीसीएफ के 90% से अधिक में अचल निवेश होते हैं।
- निवेश दर में वृद्धि का स्वागत है, हालांकि इसकी उत्पादक क्षमता इसकी संरचना पर निर्भर करती है।
- अचल पूंजी निर्माण/जीडीपी में कृषि और उद्योग की हिस्सेदारी 2014-15 और 2019-20 के बीच गिर गई (कॉलम 1 और 2)।
- 2014-15 की तुलना में 2019-20 में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी (कॉलम 3)।
- सेवा क्षेत्र में वृद्धि लगभग पूरी तरह से परिवहन और संचार पर है।
    - इसी अवधि के दौरान परिवहन का हिस्सा दोगुना हो गया है। परिवहन के भीतर, यह ज्यादातर सड़कें हैं।
- चूंकि सड़कें और संचार क्लासिक सार्वजनिक सामान हैं, इसलिए उनमें निवेश स्वागतयोग्य है। लेकिन इस पर ज्यादा जोर देना एकतरफा हो सकता है।
- स्वस्थ घरेलू उत्पादन वृद्धि के लिए, "प्रत्यक्ष उत्पादक निवेश" (खेतों और कारखानों में) और बुनियादी ढांचे के निवेश के बीच संतुलन की आवश्यकता है और यह संतुलन नहीं बन पाया है।

- इसके अलावा, कृषि और उद्योग का हिस्सा कम हो गया, भले ही अर्थव्यवस्था की सकल पूंजी निर्माण दर नीचे की ओर बढ़ गई (आंकड़ा देखें)।

TABLE: SHARES OF GROSS CAPITAL FORMATION/GDP

Year	Agriculture	Industry	Manufacturing	Services	Transport	Road
	(1)	(2)	(2.1)	(3)	(3.1)	(3.1.1)
2011-12	8.5	38.1	19.2	47.3	8.1	3.7
2014-15	7.7	33.7	17.6	49.0	6.1	1.9
2019-20	6.4	32.5	16.5	52.3	12.9	3.1

Note: Gross fixed investment rate is defined as gross capital formation excluding "valuables" (read gold) and inventories. For this reason, the items (1), (2) and (3) do not add up to 100. | SOURCE: NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS, 2021

आयात पर निर्भरता बढ़ी

- निर्माण क्षेत्र का मामला चिंताजनक है। निवेश अनुपात में इसकी हिस्सेदारी 2011-12 से 2019-20 के बीच कम हो गई।
- यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 'मेक इन इंडिया' उड़ान भरने में विफल रहा, आयात पर निर्भरता बढ़ी और भारत का विऔद्योगीकरण हुआ।
- चीन पर आयात निर्भरता उर्वरकों, थोक दवाओं (सक्रिय दवा सामग्री या एपीआई) और पूंजीगत वस्तुओं जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए खतरनाक है।
    - यह COVID-19 महामारी के दौरान तीव्र हो गया, क्योंकि चीन ने निर्यात प्रतिबंध लगा दिए - और इसने भारत के प्रधान मंत्री को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया।
- निवेश और घरेलू तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के बजाय, 'मेक इन इंडिया' अभियान ने विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स(संदिग्ध और विवादास्पद) में भारत की रैंक बढ़ाने के लिए समय और संसाधनों को बर्बाद कर दिया।
- भारत की स्थिति 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई, लेकिन यह औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में विफल रहा, विदेशी निवेश की तो बात ही छोड़िए।
- जीसीएफ के वित्तपोषण में विदेशी पूंजी का योगदान 2014-15 में 3.8% से गिरकर 2019-20 में 2.5% रह गया।
- घटती निवेश हिस्सेदारी के साथ, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2015-16 में 13.1% से गिरकर 2019-20 में नकारात्मक 2.4% हो गई।

सार्वजनिक निवेश

- वित्त मंत्री ने दावा किया है कि सार्वजनिक निवेश मौजूदा निवेश आधारित आर्थिक पुनरुद्धार की धुरी है।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हाल ही में वृद्धि सकारात्मक है, हालांकि यह दर अभी भी 2010 की शुरुआत में अपने निशान से कम है।
- यह दावा कि निवेश पुनरुद्धार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित है, तथ्यों से सिद्ध नहीं होता है।
- बजटीय आंकड़े वित्तीय निवेश का उल्लेख करते हैं, न कि पूंजी निर्माण के अनुमान, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के विस्तार का संकेत देते हैं।
- 2010 के दशक के दौरान, कृषि और उद्योग के निवेश हिस्सेदारी में गिरावट आई लेकिन सेवाओं में तेजी से वृद्धि हुई। सड़कों का प्रतिशत हिस्सा दोगुना हो गया है। सड़कों और संचार के विस्तार का निश्चित रूप से स्वागत है।
- इस तरह की विषम निवेश प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, 'मेक इन इंडिया' रणनीति आगे बढ़ने में विफल रही, जिससे भारत की आयात निर्भरता, विशेष रूप से चीन पर, बढ़ गई, जिससे गैर-औद्योगिकीकरण हो गया।
- आवश्यक कच्चे औद्योगिक सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं के लिए घरेलू क्षमता की कमी महंगी पड़ सकती है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

- यह संभावित रूप से बाहरी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की भारत की क्षमता का परीक्षण करेगा।
- गिरती हुई मुद्रा और बढ़ती (आयातित) मुद्रास्फ़ीति के साथ, निवेश सुधार को बनाए रखने की संभावनाएं कठिन होंगी।
- भुगतान संतुलन पर घाटा पहले से ही नीति निर्माताओं के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के आराम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की 53वीं वर्षगांठ

खबरों में क्यों

19 जुलाई को पहले राष्ट्रीयकरण की 53वीं वर्षगांठ थी, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

बैंकों का राष्ट्रीयकरण निजी हिस्सेदारी को सार्वजनिक हिस्सेदारी में बदलने की प्रक्रिया है, जो अनिवार्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाता है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि

- 1955 में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ, केंद्र सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय में प्रवेश किया, 60% हिस्सेदारी लेकर और एक नये बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग के दायरे को विस्तृत किया, जो पहले भारतीय स्टेट बैंक तक सीमित था।
- भारत की स्वतंत्रता के समय, देश के सभी प्रमुख बैंकों का नेतृत्व निजी क्षेत्र के पास था, जो एक चिंता का विषय था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी वित्तीय सहायता के लिए साहूकारों पर निर्भर थे।
- इस समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग किया गया था।
- दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के गठन के बाद, 1969 और 1991 के बीच 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वे बैंक थे जिनके पास राष्ट्रीय जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी।
- अन्य छह बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कुल बैंकों की संख्या बीस हो गई।
- उपरोक्त 20 बैंकों के अलावा, 1959 में एसबीआई की सात अनुषंगियों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- सरकार ने 1993 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच एकमात्र विलय था।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों?

- **निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए** - बैंक खतरनाक दर से गिर रहे थे - 1947 और 1955 के बीच 361 बैंक विफल हुए, प्रति वर्ष लगभग 40 बैंकों के बराबर, ग्राहकों की जमा राशि फंस गई, और उन्हें पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था।
- **कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए** - बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए बड़े उद्योगों और व्यवसायों का पक्ष लिया। राष्ट्रीयकरण के साथ कृषि क्षेत्र को समर्थन देने का वादा किया गया था।
- **भारत के बैंकिंग नेटवर्क को विकसित करने के लिए** - राष्ट्रीयकरण ने नई शाखाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे देश में बैंकों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था।
- **व्यक्तिगत बचत जुटाने के लिए** - बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से लोगों को बैंकों तक अधिक पहुंच मिलेगी और उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिससे नकदी की तंगी वाली अर्थव्यवस्था में अधिक राजस्व प्राप्त होता।
- **आर्थिक और राजनीतिक कारक** - 1962 और 1965 के दो युद्धों ने अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाया था। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जमाओं में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को सहायता पदान करता।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **एकाधिकार की रोकथाम:**
  - सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों से पहले, भारत में कॉर्पोरेट परिवार-नियंत्रित बैंकिंग सिस्टम था। इसने प्रभावी रूप से पूंजी पर एकाधिकार सुनिश्चित किया।
  - बैंक राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था को अधिक न्यायसंगत बनाने में मदद की और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी बैंक ऋण तक पहुंच आसान की।
- **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना:**
  - बैंक राष्ट्रीयकरण ने अधिक न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास में मदद की क्योंकि इससे पहले बैंकिंग प्रणाली शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थी और वह भी बड़े पैमाने पर पश्चिम और उत्तर में।
- **काम करने की स्थिति में सुधार:**
  - सरकारी बैंकिंग ने बैंकिंग क्षेत्र में भी कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार किया।
  - राज्य ने उच्च मजदूरी, सेवाओं की सुरक्षा और अन्य अनुषंगी लाभों को सुनिश्चित किया।
- **जनहित का संरक्षण**
  - उद्योगपतियों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा ने जनता के हितों को चोट पहुंचाई जिसे राज्य के स्वामित्व द्वारा मापा और कम किया गया था।
- **केंद्रीकृत प्रबंधन**
  - राष्ट्रीयकृत बैंकों में समन्वय के कारण केंद्रीकृत प्रबंधन संभव हुआ और इसने पूरे देश में एक समान सेवाएं प्रदान करने में मदद की।
  - इस प्रकार इसने राज्य को संगठन, पूंजी, श्रम संचालन और विपणन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाया।
- **अधिशेष लाभ का उपयोग**
  - राज्य के स्वामित्व के तहत बैंकिंग उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग अधिक से अधिक सार्वजनिक भलाई और सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने में मदद के लिए किया जा सकता है।
- **सेवा में एकरूपता और स्थिरता**
  - राष्ट्रीयकरण ने एक समान बैंकिंग सेवाओं को सुनिश्चित किया और देश के विभिन्न कोनों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाया।
  - बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पहुंच के अंदर लाया गया और साहूकारों पर उनकी निर्भरता को कम किया गया।
- **कोर सेक्टर लेंडिंग**
  - निजी बैंक किसानों और इस्पात और कोयले के मुख्य क्षेत्र को आसानी से उधार नहीं देते थे, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता थी। राष्ट्रीयकरण ने इन क्षेत्रों को धन उपलब्ध कराया।
- **जीवन स्तर में वृद्धि**
  - इसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि की और उपभोग को बढ़ावा देने वाले व्यक्तिगत ऋणों के विस्तार के अतिरिक्त लाभ के साथ जमा जुटाने में काफी मदद की।
- **बैंकिंग आदतों का विकास करना**
  - आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रति व्यक्ति जमा 1969 में 88 रुपये से बढ़कर 1995 तक 4,242 रुपये हो गया और समय के साथ इसमें और वृद्धि हुई है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आलोचना

- **सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां:** बैंक गरीबी उन्मूलन या समाज के जमीनी स्तर को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। यह ग्रामीण भारत में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था।
- **निजी बैंक प्रतिस्पर्धा:** सरकारी समर्थन और बढ़ी हुई जमाराशियों से बढ़े प्रोत्साहन के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रदर्शन के मामले में निजी बैंकों से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थे।
- **वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में विफलता:** इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय समावेशन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक लक्ष्य था, यह पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था।
    - यह प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ के बाद केवल एक सीमा तक ही पूरा हो पाया है।

यह जीडीपी है किसके लिए?

कुछ हफ्तों में, सरकार पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि संख्या को जारी करेगी और अपनी तारीफ करेगी कि कैसे भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन असली सवाल यह है कि आम आदमी के लिए जीडीपी वृद्धि का क्या महत्व और प्रभाव है? इसका जवाब है बहुत कम।

वृद्धि और रोजगार

- यह कहना सुरक्षित है कि अर्थव्यवस्था के बारे में औसत व्यक्ति की प्राथमिक और शायद एकमात्र चिंता वह आय है जो वे कमा सकते हैं।
- यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि लम्बे समय से, भारत में लोगों की सबसे महत्वपूर्ण मांग नौकरी है, विशेष रूप से, एक उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक क्षेत्र की नौकरी जो काम की गरिमा, अच्छी आय और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसत भारतीय के लिए तभी मायने रखती है जब यह उनके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां और आय उत्पन्न कर सके।
- यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बीच संबंध काफी कमजोर हो गया है।
- जाहिर तौर पर, उच्च जीडीपी विकास का मतलब अब जरूरी नहीं है कि लोगों के लिए अधिक रोजगार और आय हो।
- जीडीपी वृद्धि और नौकरियों का इस तरह अलग होना दो बातें बताता है: पहला, समकालीन आर्थिक विकास की बदली हुई प्रकृति का प्रतिबिंब है जिसमें श्रम की कीमत पर पूंजी संचालित दक्षता पर जोर दिया गया है और दूसरा यह की जीडीपी एक अपर्याप्त उपाय है।

जीडीपी सामाजिक कल्याण का पैमाना नहीं है

- नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स (Simon Kuznets), जिन्होंने जीडीपी को आर्थिक प्रदर्शन के एक उपाय के रूप में माना था, ने कभी भी इसे एक राष्ट्र के लिए एकल-दिमाग वाली आर्थिक खोज के रूप में नहीं माना, और बार-बार चेतावनी दी कि यह सामाजिक कल्याण का एक उपाय नहीं है।

जीडीपी को लेकर जुनून

- नीति निर्माताओं और राजनेताओं द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर अत्यधिक जुनून लोकतंत्र में अस्वस्थ और खतरनाक हो सकता है।
- निर्विवाद रूप से, सकल घरेलू उत्पाद एक सुंदर और सरल मीट्रिक है जो आर्थिक प्रगति का एक अच्छा संकेतक है जिसकी तुलना सभी देशों में की जा सकती है। लेकिन हर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए एक बाध्यकारी प्रयास प्रति-उत्पादक हो सकता है, क्योंकि यह समग्र नहीं बल्कि एक भ्रामक उपाय है। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई उपाय एक लक्ष्य बन जाता है, तो वह एक अच्छा उपाय नहीं रह जाता है।

निष्कर्ष

जीडीपी वृद्धि एक भ्रामक संकेतक में बदल गया है जो झूठे आर्थिक वादों को चिह्नित करता है, लोगों की आकांक्षाओं को धोखा देता है और गहरी सामाजिक समस्याओं को छुपाता है। सांख्यिकीय सूत्रवाद 'सब कुछ जो मायने रखता है उसकी गिनती नहीं की जा सकती है और हर कुछ जो गिना जा सकता है वह मायने नहीं रखता' उस जीडीपी वृद्धि विरोधाभास को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जिसका आज कई लोकतंत्र सामना कर रहे हैं।

संख्याएँ, बाघ संरक्षण के बारे में कौन सी बातें प्रकट नहीं करती हैं?

विलुप्त, इस अशुभ शब्द का एक अर्थ है, एक प्रजाति का खात्मा। और यह एक ऐसा शब्द है जो हमें आजकल बहुत बार सुनने को मिलता है, खासकर समाचारों में। लेकिन इसके विपरीत संभव है। 29 जुलाई को, जो वैश्विक बाघ दिवस है (जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहा जाता है), दुनिया और भारत कम से कम एक लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या में वृद्धि का जश्न मना सकते हैं।

भारत में संख्या में वृद्धि: उत्सव का कारण

भारत अब बाघों की संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहा है, और हाल ही में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के आकलन से पता चलता है कि 2005 के बाद से बाघों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। यह उत्सव का कारण है। लेकिन क्या बाघों की संख्या में वृद्धि उनके विलुप्त होने को रोकने के लिए पर्याप्त है?

विलुप्त होने की उच्च संभावना के पीछे कारण

आनुवंशिक बहाव

- ऐसी प्रजातियों की जिनकी प्रजनन करने वाली आबादी 100 से कम है, उनके विलुप्त होने की उच्च संभावना है।
- साथ ही, आबादी के बने रहने के लिए, उन्हें अन्य ऐसी आबादी के साथ बड़े परिदृश्य का हिस्सा होना चाहिए जो आपस में जुड़ी हुई हैं।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी आबादी आकस्मिक/यादृच्छिक घटनाओं के अधीन होती है।
    - इन यादृच्छिक घटनाओं के कारण वे लाभप्रद आनुवंशिक रूपांतरों को खो सकते हैं, जबकि अन्य, हानिकारक आनुवंशिक रूपांतरों की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है।

आनुवंशिक बहाव जनसंख्या में जीन वेरिएंट की संख्या में यादृच्छिक उतार-चढ़ाव का वर्णन करता है।

इनब्रीडिंग(आंतरिक प्रजनन)

- छोटी आबादी में व्यक्तियों के आपस में जुड़े होने की संभावना अधिक होती है, जिससे अंतःप्रजनन होता है।
- यह सभी जीनोमों में मौजूद कई नुकसानदेह आनुवंशिक रूपों को उजागर करता है।
- जब एक साथ व्यक्त किया जाता है, तो ये हानिकारक अनुवांशिक रूप अंतर्गर्भाशयी अवसाद का कारण बनते हैं, और जीवित व्यक्तियों के अस्तित्व और प्रजनन को कम करते हैं।

विलुप्त होने से बचना

- परिणामों से पता चला है कि यदि गलियारों की सुरक्षा की जाती है तो विलुप्त होने से बचा जा सकता है।
- जब तक हम बाघों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए बाघ अभयारण्यों के बाहर के परिदृश्य का प्रबंधन करते हैं, और बाघ अभयारण्यों के अंदर शिकार और बाघों की रक्षा करते हैं, तब तक मध्य भारत जैसे परिदृश्य में बाघों का जीवित रहना निश्चित है।

अलगाव और छोटे जनसंख्या आकार के आनुवंशिक प्रभाव

- ओडिशा में पाए जाने वाले छद्म-मेलेनिस्टॉर काले बाघ ने अलगाव के आनुवंशिक प्रभावों का प्रदर्शन किया है।
- काले बाघ केवल ओडिशा में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य में पाए जाते हैं।
- चिड़ियाघर के बाघों के जीनोम अनुक्रम जिसमें छद्म मेलेनिस्टिक शावक शामिल थे, ने खुलासा किया कि एक विशिष्ट जीन में एक एकल वर्तनी गलती (या उत्परिवर्तन) इन बाघों के इस तरह (काला) दिखने का कारण बनती है।
- अनुसंधान के परिणाम आनुवंशिक बहाव, या यादृच्छिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं जिसके कारण यह आनुवंशिक रूपांतरण होता है जिसके कारण छद्म-मेलेनिस्टिक कोट का ऐसा रंग केवल सिमलीपाल में आम हो जाता है।

इनब्रीडिंग के प्रतिकूल प्रभाव

- राजस्थान में, जंगली बाघों के जीनोम अनुक्रमों से पता चलता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ इनब्रीडिंग दिखाते हैं।

- हालांकि अभी तक इनब्रीडिंग के प्रतिकूल प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं, बाघ संबंधित हैं और संभावित रूप से नुकसानदेह आनुवंशिक रूप धारण करते हैं, जो भविष्य में रणथंभौर में बाघों के अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **संपर्क पर ध्यान दें:** जबकि हम केवल संख्या को देखते हुए बाघों की आबादी में सुधार का जश्न मनाते हैं, हमें अन्य कारकों पर ध्यान भी देना चाहिए जो उनके निरंतर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संपर्क।
- उन आबादी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो अलग-थलग हो रही हैं और ऐसे अलगाव के आनुवंशिक परिणामों का सामना कर रही हैं।
- ऐसी आबादी का भविष्य आनुवंशिक बचाव या यहां तक कि नए आनुवंशिक रूपों की शुरूआत पर निर्भर हो सकता है।

निष्कर्ष

हम भाग्यशाली हैं कि नई जीनोम अनुक्रमण तकनीक बाघों को उनके संरक्षण के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करती है। बाघों के भविष्य को और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे डेटा और प्रबंधन रणनीतियों के बीच एक 'संवाद' की आवश्यकता होगी। भारत भाग्यशाली है कि इतने सारे जंगली बाघ हैं और हमें उन्हें बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993